विनियामक फोरम
(एफओआर)

वार्षिक रिपोर्ट
2021-22

वार्षिक रिपोर्ट

2021-22

विनियामक फोरम (एफओआर)

विनियामक फोरम (एफओआर)
सचिवालय: मार्फत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ)
तृतीय और चतुर्थ तल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली-110001
दूरभाष :+91-11-23753920 फैक्स : 91-11-23752958

प्रस्तावना

वर्ष 2021–22 के दौरान, महामारी के बावजूद, विनियामक फोरम ने विद्युत क्षेत्र में महत्वपूर्ण विषयों पर बैठकें और विचारविमर्श जारी रखा और इस प्रकार के विवेचनीय विषय पर सहमति बनाना जारी रखा। अपनी बैठकों के दौरान फोरम ने कई विषयों पर विचार विमर्श किया जो क्षेत्रीय विकास और कार्यनिष्पादन को प्रभावित करते हैं।

विनियामक फोरम आरंभ किया गया एक विषय विद्युत विनियामक सूचना पहुंच और विश्लेषण रहा है जो टैरिफ संबद्ध पैरामीटरों को उपलब्ध करवाता है। विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम के अधीन विकसित तकनीकी सहायता विनियामक फोरम की 78वीं बैठक के दौरान आरंभ किया गया और वह इस प्रकार के डाटा पर सूचना के पहुंचने के लिए विनियामकों को उपलब्ध होगा जो निर्णय करने में मददगार होता है।

संचार के विकास को तेज गति देने के लिए 5जी तकनीक की भूमिका महत्वपूर्ण है इसलिए फोरम ने 78वीं बैठक के दौरान क्रॉस क्षेत्र सहयोग ट्राई के प्रोत्साहन में विस्तार किया। ट्राई देश में 5जी तकनीक के सुचारू रूप से करने के लिए राज्य विद्युत विनियामकों से संपर्क करेगी।

फोरम ने ''निवेश पर रिटर्न और ''वितरण क्षेत्र में प्रचालन मानदण्ड के लिए मानकों को परिभाषित करने सहित सीईआरसी द्वारा विकसित आस्तियों के लिए मूल्यह्रास दरों को संशोधित करते हुए वितरण आस्तियों के लिए मूल्यह्रास के मानक दरों को विकसित करने के उद्देश्य से वितरण आस्तियों तथा वितरण के लिए वित्तीय मूल्यह्रास के सिद्धांतों के ''वितरण के लिए वित्तीय मानदण्डों और प्रचालन तथा वितरण आस्तियों के लिए मूल्यह्रास के सिद्धांतों को विकसित करने के लिए अध्ययन किया। इस अध्ययन में भारत में अन्य अवसंरचनात्मक क्षेत्रों सहित विद्युत वितरण क्षेत्र में मूल्यह्रास मानदण्डों के तुलनात्मक विश्लेषण और बेंचमार्किंग को शामिल किया गया। अध्ययन में आस्ति के जीवन के माध्यम से अपनाई जाने वाली मूल्यह्रास दर और विभिन्न प्रकार की आस्तियों के लिए अपनाए जाने वाले उपयोगी जीवन की सिफारिश की गई। वितरण मार्जिन पहलू पर, अध्ययन में उपभोक्ता स्तर कार्यनिष्पादन में क्रमिक मार्गस्त के लिए रोडमैप के विकास की सिफारिश की गई, आरओई आधारित वितरण मार्जिन तथा यूटिलिटी के लिए पुरस्कार/दण्ड के लिए तंत्र के रूप में उपभोक्ता स्तर कार्यनिष्पादन पैरामीटरों को रखने की सिफारिश की गई।

नवीकरणीय उर्जा के व्यापक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए फोरम ने स्टोरेज के मूल्य के मूल्यांकन के लिए कार्यदल को गठित करने का निर्णय लिया चूंकि स्टोरेज तकनीक में नवीकरणीय उर्जा स्रोतों से वृद्धिशील समेकन को प्रोत्साहित करने की संभावना है और ग्रिड की अपेक्षाओं की पूर्ति की संभावना है। कार्यदल को ईवी के लिए उपयुक्त टैरिफ संरचना और विद्युत वाहन सहित उर्जा स्टोरेज पर वांछनीय विनियामक फ्रेमवर्क पर अन्य बातों के साथ साथ सिफारिश करने और जांच करने का अधिदेश दिया। कार्यदल की सिफारिश का स्टोरेज सहायता के रूप में ईवी के कार्यान्वयन स्टोरेज तकनीक के विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव होगा।

फोरम ने नवीकरणीय उर्जा उत्पादकों के नवीकरणीय उर्जा प्रभावों की कमी के रूप में नवीकरणीय उर्जा की कमी के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत के लिए कार्यबल का गठन किया।

एफओआर ने संसाधन पर्याप्तता पर कार्यबल भी गठित किया है जो प्रणाली में रिजर्व अपेक्षा में फेक्टरिंग द्वारा संसाधनों की प्राप्ति के लिए विवेचनीय है।

विद्युत विनियामक आयोगों के कर्मियों/व्यवसायिकों की कुशलताओं और जानकारी को व्यापक बनाने के लिए एफओआर ने क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने सहित विविध उपाय किए। महामारी के कारण एफओआर ने सीजीआरएफ और लोकपाल के अधिकारियों के लिए ''उपभोक्ता हित के संरक्षण'' पर ऑनलाइन क्षमता निर्माध कार्यक्रम, सीईआरसी/एसईआरसी/जेईआरसी के कर्मियों और विनियामकों के लिए ''विद्युत क्षेत्र में विनियामक फ्रेकमवर्क'' कार्यक्रम और एसईआरसी/जेईआरसी के कर्मियों के लिए ''उभरते परिदृश्य के लिए विद्युत क्षेत्र के लिए विनियामक सर्वोत्तम पद्धतियां कार्यक्रम आयोजित किए गए।

विशेषज्ञों, व्यावसायिकों और इनहाउस अध्ययन के साथ विचार विमर्श, इनहाउस विचार विमर्श, क्षमता निर्माण और कुशलता विकास कार्यक्रम के माध्यम से विकसित समझ के माध्यम से क्षेत्र के विकास के लिए मूल्यवान अंतरदृष्टि विकास के लिए फोरम का कोई प्रयास फोरम के सदस्यों के सक्रिय सहभागिता के बिना अपेक्षित उपलब्धि अर्जित नहीं कर सकता। फोरम के अधिदेश को पूरा करने में सभी स्टेकहोल्डरों से हम निरंतर समर्थन की अपेक्षा करते है।

अध्यक्ष, विनियामक फोरम

विषय–वस्तु

1. विनियामक फोरम के बारे में (एफओआर) 7

फोरम का गठन 7

फोरम के कार्य 7

फोरम का वित्त 8

मिशन विवरण 8

2 फोरम की गतिविधियां 9

क. विनियामक फोरम की बैठकें 9

ख. वर्ष के दौरान कार्य दल की गतिविधिया 12

ग. पूरे किए गए अध्ययन 17

घ. क्षमता निर्माण कार्यक्रम 18

3. 2021–22 के दौरान विनियामक फोरम के सदस्य विनियामक निकायों की उपलब्धि (सीईआरसी/ एसईआरसी/जेईआरसी) 20

क. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग 20

ख. राज्य विद्युत विनियामक आयोग 22

4. राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर स्थिति रिपोर्ट 37

5. केविविआ/एसईआरसी और जेईआरसी के अध्यक्षों की सूची 39

6. एफओआर के वार्षिक लेखा 41

अनुबंध- 1 61

केविविआ द्वारा अवधारित उत्पादन टैरिफ 61

हाइड्रो उत्पादनकारी केन्द्रों का समन्वित टैरिफ 63

नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ 65

अनुबंध- II 71

एसईआरसी/जेईआरसी के टैरिफ आदेशों को जारी करने की समयबद्धता 71

अनुबंध- III 76

सीजीआरएफ और ओमबडसमैन के कार्य 76

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान सीजीआरएफ और ओमबडसमैन के संबंध में रिक्त पदों का सार 76

सीजीआरएफ की शिकायतों के निपटान की स्थिति – अप्रैल 2021 से मार्च 2022 77

ओमबडसमैन की शिकायतों के निपटान की स्थिति – अप्रैल 2021 से मार्च 2022 79

1 विनियामक फोरम (एफओआर) के बारे में

विद्युत क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र विनियामक आयोग की परिकल्पना वर्ष 1990 के दशक के आरंभ में उस समय की गई थी जब 1994 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विद्युत संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद समिति ने 'सार्वजनिक और निजी प्रयोज्यताओं की टैरिफ नीतियों को विनियमित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर स्वतंत्र व्यवसायिक टैरिफ बोर्डो का गठन' करने की सिफारिश की थी। समिति ने यह भी दोहराया था कि 'टैरिफ बोर्डो से प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक राज्य के लिए समुचित विद्युत टैरिफों को तैयार करने के मामले में उच्च स्तर की व्यवसायिकता आ सकेगी।' विनियामक आयोग के गठन की आवश्यकता को वर्ष 1996 में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में पुनः दोहराया गया। सम्मेलन में अन्य बातों के साथ साथ विद्युत के लिए सामान्य न्यूनतम राष्ट्रीय कार्रवाई योजना की बात को व्यक्त करते हुए यह सहमति हुई कि राज्य विद्युत बोर्डों में सुधार और पुनर्संरचना करना आवश्यक है तथा इन्हें निश्चित सीमा के अंदर पूरा किया जाना चाहिए और इस दिशा में एक उपाय के रूप में विद्युत विनियामक आयोगों को बनाने की बात को समझा गया। इस प्रकार केन्द्र तथा राज्यों में विद्युत विनियामक आयोगों के निर्माण के लिए विद्युत विनियामक आयोग (ईआरसी) अधिनियम, 1998 (संक्षेप में, 1998 अधिनियम) अधिनियमित किया गया। 1998 का अधिनियम, टैरिफ विनियमन से सरकार को दूर रखने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। 1998 के अधिनियम में विद्युत टैरिफ को तर्कसंगत बनाने, टैरिफ सब्सिडी इत्यादि से संबंधित पारदर्शिता नीतियों के सुव्यवस्थितीकरण के लिए केन्द्र तथा राज्यों में विद्युत विनियामक आयोगों के लिए उपबंध किया गया। 1998 के अधिनियम को तब से विद्युत अधिनियम 2003 (संक्षेप में, 2003 का अधिनियम) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। 2003 अधिनियम के आरंभ से, विद्युत विनियामक आयोगों के कृत्यों में, अन्य बातों के साथ, विद्युत बाजार के क्षेत्र के विकास की भूमिका और सरकार को परामर्श देने का कार्य सौंप कर, विस्तार किया गया है। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) तथा अधिकांश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी), 1998 के अधिनियम के अंतर्गत गठित किए गए थे। तथापि, मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एमएसईआरसी), जेईआरसी – (मणिपुर एवं मिजोरम), जेईआरसी (गोवा एवं संघ शासित प्रदेश) और जेईआरसी (जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख) तथा जैसे कुछ एसईआरसी/जेईआरसी, 2003 के अधिनियमन के बाद गठित किए गए थे। इस फोरम का गठन, विद्युत क्षेत्र में ईआरसी, एसईआरसी और जेईआरसी द्वारा निर्मित विनियमों के संगतिकरण के मुख्य उद्देश्य से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 166(2) के अधीन उपबंध के अनुसरण में विद्युत मंत्रालय (एमओपी) की 16 फरवरी, 2005 की अधिसूचना द्वारा किया गया था।

फोरम का गठन

फोरम में केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष एवं राज्य आयोगों के अध्यक्ष शामिल होंगे। केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष विनियामक फोरम के अध्यक्ष होंगे। केन्द्रीय आयोग के सचिव फोरम के पदेन सचिव होंगे। फोरम की सचिवीय सहायता केन्द्रीय आयोग द्वारा प्रदान की जाएगी। फोरम का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित होगा।

फोरम के कार्य

फोरम निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा अर्थातः–

- केन्द्रीय आयोग तथा राज्य आयोगों के टैरिफ आदेशों तथा अन्य आदेशों का विश्लेषण एवं उक्त आदेशों से उत्पन्न आकंडों का संकलन करना विशेष रूप से प्रयोज्यताओं की कार्यकुशलता को रेखांकित करना;
- विद्युत क्षेत्र में विनियमन में एकरूपता;
- अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित अनुज्ञप्तिधारियों के कार्यनिष्पादन के मानकों को निर्धारित करना;
- सामान्य हित के और सामान्य दृष्टिकोण के विभिन्न मुददों के संबंध में फोरम के सदस्यों को सूचना शेयर करना;

- ऊर्जा क्षेत्र विनियमन से संबंधित मुददों पर आउटसोंर्सिंग के माध्यम से या इनहाउस अनुसंधान कार्य से पूरा करना;
- उपभोक्ताओं के हित की सुरक्षा के लिए उपाय विकसित करना और ऊर्जा क्षेत्र में कार्यकुशलता, मितव्ययिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना; तथा
- इस प्रकार के अन्य कार्य जिसे केन्द्रीय सरकार समय समय से निर्दिष्ट कर सकती है।

फोरम का वित्त

केन्द्रीय आयोग फोरम का सचिवालय होने के नाते फोरम की गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए राज्य आयोगों से आवश्यक वित्तीय अंशदान ले सकती है। केन्द्रीय आयोग फोरम की गतिविधियों के लिए अलग लेखा रखेगी।

मिशन विवरण

विनियामक फोरम की अवधारणा स्वतंत्र विनियमों के विकास को पूरा करने तथा भारत में विद्युत क्षेत्र में स्टेक रखने वालों को शक्ति प्रदान करने के मिशन से आरंभ किया गया था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए फोरम का लक्ष्य निम्नानुसार हैः–

- विद्युत क्षेत्र में विनियमों की एकरूपता।
- सम्पूर्ण भारत में राष्ट्रीय नीतियों का अनुपालन
- भारत में विद्युत क्षेत्र में विनियामक निश्चितता बनाए रखने के लिए ईआरसी को प्लेटफार्म उपलब्ध करवाना।
- उपभोक्ताओं के हित में व्यापक नीतियों/विनियमों के कार्यान्वयन के माध्यम से निवेश को बढ़ावा देने के लिए पहल करना।

2 विनियामक फोरम की गतिविधियां

क. विनियामक फोरम की बैठकें

फोरम ने वर्ष के दौरान 5 वर्चुअल बैठकें आयोजित की और कई विवेचनीय विषयों पर सर्वसम्मति विकसित की

1. विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए 9 अप्रैल 2021 को आयोजित 74वीं एफओआर की बैठक

क. वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए प्राक्कलित व्यय और प्रत्याशित आय को दर्शाते हुए विनियामक फोरम के बजट पर विचार किया गया। इसके बाद बजट अनुमोदित किया।

ख. फोरम को लेखापरीक्षित, कर दाता, जीएसटी परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए सतत प्रक्रिया के बारे में सूचित किया गया।

ग. फोरम को सतत आईटी मामले अर्थात निर्धारण वर्ष 2016–17 (वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए) एफओआर के दण्ड मामलों की स्थिति के बारे में सूचित किया।

घ. फोरम ने ''रिटेल टैरिफ को प्रभावित करने वाले घटक और उनका पता लगाने वाले तरीको के संबंध में एफओआर के कार्यदल के रिपोर्ट पर विचारविमर्श किया गया।

ङ. फोरम ने एसईआरसी से संदर्भों पर विचार विमर्श किया।

- विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी की गई नियमावली
- आरपीओ (सौर आरपीओ और एचपीओ) की दीर्घकालिक टरेजेक्टरी
- डिस्कॉम द्वारा विद्युत के आयात के विषय का पता लगाने के लिए मॉडल विनियम
- निर्बाध पहुंच के माध्यम से राज्य के अंदर/बाहर स्थित केप्टिव उत्पादक
- शेयर का अभ्यार्पण तथा गैर किफायती एनटीपी गैस पावर केन्द्र
- डिस्कॉम के निजीकरण के लिए भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अधीन वित्तीय सहायता का विस्तार

2. विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 30 अप्रैल, 2021 को आयोजित एफओआर की 75वीं बैठक

क. फोरम ने ''रिटेल टैरिफ को प्रभावित करने वाले घटक और उनका पता लगाने के तरीके'' पर एफओआर के कार्यदल की रिपोर्ट को अंगीकार किया और अनुमोदित किया।

3. सीईआरसी नई दिल्ली में 01 अक्तूबर 2021 को आयोजित एफओआर की 76वीं बैठक

क. फोरम ने पीएसआर कार्यक्रम के अधीन एफओआर के सहयोग से विकसित विद्युत विनियामक सूचना पहुंच और विश्लेषणात्मक प्लेटफार्म (विनियामक टूल) आरंभ किया।

ख. एफओआर ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए एफओआर के लेखापरीक्षित लेखों को अनुमोदित किया। सदस्यों को सूचित किया गया कि आयकर विभाग ने ''विवाद से विश्वास योजना 2020'' के अधीन निर्धारण वर्ष 2016–17 के लिए एफओआर के दण्ड मामलों को विधिवत रूप से निपटाया।

ग. फोरम ने ''वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबंधित लागतों को पुनरीक्षित करने'' पर एफओआर कार्यदल की रिपोर्ट को अंगीकार किया।

घ. फोरम ने निम्नलिखित संदर्भों पर विचार विमर्श किया।

- राज्य पारेषण कंपनी द्वारा पूंजी व्यय योजना – विद्युत पावर एसोसिएशन से संदर्भ
- स्मार्ट प्रीपेड मीटर, ईवी एवं स्टोरेज से संबद्ध विषयों पर विचार विमर्श – डब्ल्यूबीआरसी से संदर्भ
- ईवी टैरिफ में एकरूपता निर्धारण करने के लिए दृष्टिकोण – टीईआरसी से संदर्भ
- आरपीओ से आगे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्ति के लिए जारी किए गए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों के स्वरोक के माध्यम से वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आरपीओ की ऑफसेटिंग – एचपीईआरसी से संदर्भ
- उप पारेषण प्रणाली के कार्यनिष्पादन सुधार के लिए पारेषण के अधीन 33 केवी प्रणाली लाना – एचईआरसी से संदर्भ।
- मॉडल टैरिफ विनियम – विद्युत मंत्रालय से संदर्भ

4. यूपीईआरसी लखनऊ और एमएस टीम ने 17 दिसंबर, 2021 को आयोजित एफओआर की 77वीं बैठक

क. फोरम ने पीएम कुसुम योजना की अवधारणा पर विचार विमर्श किया – कनवर्जेनश एनर्जी सर्विस लि. से संदर्भ

ख. फोरम ने ''वितरण आस्तियां, निवेश पर रिटर्न तथा वितरण क्षेत्र पर प्रचालन मानदण्ड के लिए मूल्यह्रास की दरों को विकसित करने'' पर एफओर की कार्यबल रिपोर्ट को स्वीकार किया।

ग. फोरम ने ''मांगपक्ष लोचशीलता को अनलॉक करना'' पर विचार विमर्श किया – इरेडे द्वारा की गई प्रस्तुति

घ. फोरम ने वित्तीय डेरिवेटिव पर विचार विमर्श के संबंध में भारत में विद्युत बाजार विकास पर विचार विमर्श किया।

ङ. फोरम ने नवीकरणीय ऊर्जा कमी के लिए मार्गनिर्देश के संबंध में 2 अगस्त, 2021 के एपटेल आदेश पर विचार विमर्श किया।

च. फोरम ने सामान्य नेटवर्क पहुंच पर विचार विमर्श किया।

छ. फोरम ने निम्नलिखित के रूप में सदर्भों पर विचार विमर्श किया।

- सीजीआरएफ की स्थापना और आपूर्ति कोड में संशोधन – विद्युत मंत्रालय से संदर्भ
- आरसीडी गाइड – टीएनईआरसी से संदर्भ
- भारतीय रेलवे – सीएसईआरसी से संदर्भ

FORUM OF REGULATORS (FOR)
77th MEETING

5. कोलकाता एवं सुंदरबन पश्चिम बंगाल में 3 से 5 मार्च 2022 के दौरान आयोजित एफओआर की 78वीं बैठक

फोरम ने निम्नलिखित संदर्भों पर विचार विमर्श किया:

क. एफओआर मॉडल टैरिफ विनियम – विद्युत मंत्रालय से संदर्भ

ख. सीईआर, आईआईटी कानपुर से संदर्भ

- विनियामक ट्रेकर टूल आरंभ

ग. यूएसएआईडी / यूएसईए से संदर्भ

- यूएसएआईडी के नए दक्षिण एशिया प्रादेशिक ऊर्जा भागीदारी कार्यक्रम के अधीन एफओरआर को तकनीकी सहायता

- अध्ययन दौरा

घ. राज्यों के उत्पादन केन्द्रों में एजीसी का कार्यान्वयन और राज्य स्तर थर्मल पावर प्लांट में एजीसी के कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव में सहमति

ङ. निर्धारण वर्ष 2012–13 के लिए टीडीएस वापसी को राइटिंग आफ करने और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए लेखा बहियों से आयकर वापसी

च. ''टेलीकॉम विनियामक और विद्युत विनियामकों के बीच क्रॉस क्षेत्र सामूहिक विनियम'' पर एफओआईआर के कार्यसमूह की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया।

छ. वित्तीय डेरिवेटिव पर यूएसएआईडी से सहायता सहित एफओआर सचिवालय द्वारा आयोजित वेबीनारों के छः सत्रों की सीरीज पर पहल की प्रशंसा की।

ख. वर्श के दौरान एफओआर कार्य ग्रुप की गतिविधियां

कार्य ग्रुप विनिर्दिष्ट / विवेचनीय मुददों पर विचार विमर्श के लिए विनियामक फोरम के सदस्यों से गठित किए जाते हैं जिससे गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। यह ग्रुप विनिर्दिष्ट विषय क्षेत्र के आसपास की गतिविधि या विचार विमर्श पर केन्द्रित करता है और रिपोर्टों के रूप में अपने सुझावों / सिफारिशों को सामने लाता है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कार्य ग्रुप के पूर्ण अध्ययन नीचे दिए गए हैं :

1 रिटेल टैरिफ को प्रभावित करने वाले घटकों का विश्लेषण और उनका पता लगाने के उपाय

कार्यग्रुप 16.10.2020 को आयोजित विशेष एफओआर बैठक के दौरान गठित किया गया। कार्य ग्रुप के सदस्य निम्नानुसार हैं:

1 सुश्री कुसुमजीत सिद्धू, अध्यक्ष पंजाब राज्य, विद्युत विनियामक आयोग – अध्यक्ष

2 श्री आनंद कुमार, अध्यक्ष गुजरात विद्युत विनियामक आयोग – सदस्य

3 श्री सुतिरथा भट्टाचार्य, अध्यक्ष पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग – सदस्य

4 श्री यू. एन. बेहेरा, अध्यक्ष उड़ीसा विद्युत विनियामक आयोग – सदस्य

5 श्री एम. चंद्रशेखर, अध्यक्ष तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग – सदस्य

6 एम. के. गोयल, अध्यक्ष, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा एवं संघशासित प्रदेश) – सदस्य

7 डा. सुशांत के. चटर्जी, प्रमुख (विनियामक मामले) केविविआ – संयोजक

एफओआर द्वारा निर्णित कार्य ग्रुप का कार्य नीचे दिया गया है :

1 विद्युत क्रय लागत के विभिन्न संघटकों का विश्लेषण और रिटेल टैरिफ पर उसका प्रभाव

2 बाहरी घटकों का विश्लेषण (अर्थात् विद्युत क्षेत्र के लिए बाहरी घटक) और रिटेल टैरिफ को प्रभावित करने वाले आंतरिक घटक (उत्पादन, पारेषण और वितरण की मूल्य श्रृंखला।

3 उक्त 1 और 2 से विश्लेषण से उद्भूत विषयों का पता लगाने के लिए उपायों का सुझाव करना।

4 कोई अन्य संबद्ध मामले और उक्त से संबंधित।

निम्नलिखित कार्य ग्रुप के लिए मुख्य सिफारिशें हैं :

(i) कोयला, रेलवे भाड़ा, स्वतंत्र विनियामक निकाय के अधीन किया जाना चाहिए चूंकि वे एकाधिकार स्थिति रखते हैं और फिलहाल गैर विनियमित हैं।

(ii) विद्युत विनियामकों को कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के एसएचआर और जीसीवी को मॉनिटर तथा विनियमित करना चाहिए।

(iii) नए वातावरण मानदण्डों के कार्यान्वयन से ऊर्जा की प्रति यूनिट लागत में निश्चित रूप से वृद्धि हो रही है। लागत में यह वृद्धि क्लिन ऊर्जा उपकर से क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए।

(iv) फ्लाईएश के परिवहन और निपटान के लिए प्रस्तावित मानदण्ड का उत्पादन की लागत पर पर्याप्त प्रभाव होगा और उपभोक्ता टैरिफ पर भी प्रभाव होगा। यह सिफारिश की जाती है कि फ्लाईएश के परिवहन की लागत आंशिक रूप से केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी चाहिए।

(v) पारेषण योजना डिस्काम और एसटीयू द्वारा उचित मांग पूर्वानुमानों पर आधारित होनी चाहिए।

(vi) उत्पादन आस्तियां अशक्त हैं। पुराने गैस संयंत्र अब अधिक खर्चीले हैं और नियत लागतें बिना उपयोग के दी जा रही हैं।

(vii) उत्पादन/पारेषण और वितरण कंपनियों को अनुमत्त इक्विटी पर रिटर्न अधिक वास्तविक और ब्याज दरों के समतुल्य बनाने की आवश्यकता है।

(viii) मूल्यह्रास दर तर्कसंगत होना चाहिए और आरंभिक उच्चतर मूल्यह्रास दर की अवधि 12 वर्षों से बढ़ाकर 15 वर्ष किया जाए।

मूल्यह्रास की दर पहले 12 वर्षों के लगभग 5.28 प्रतिशत के स्थान पर स्ट्रेट लाइन पद्धति के आधार पर पहले 15 वर्षों के लिए 4.3 प्रतिशत होना चाहिए और शेष मूल्यह्रास बकाया उपयोगी जीवन के दौरान वसूल किए जाने चाहिए।

ऋण पुनर्भुगतान से संचित मूल्यह्रास ऋण पुनर्भुगतान की समाप्ति के बाद आरओई के लिए इक्विटी आधार कम करने के लिए प्रयुक्त होना चाहिए।

(ix) बड़े आरई क्षेत्र में, हाइब्रिड नवीकरणीय (पवन एवं सौर का सम्मिश्रण) और ऊर्जा स्टोरेज सहित नवीकरणीय को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे पारेषण आस्तियों का बेहतर उपयोग किया जा सके।

(x) राइट एनर्जी मिक्स और दीर्घकाल, मध्यकालिक और अल्पकालिक पीपीए का राइट मिक्स – उत्तम पद्धतियां

(xi) बाजार के अधिकतम उपयोग के माध्यम से लागत बढ़ाना।

(xii) व्यापार मार्जिन कम किया जाए

(xiii) हाइड्रो परियोजनाओं के लिए जल उपयोग प्रभारों का अधित्याग

(xiv) हाइड्रो पावर परियोजनाओं और न्यूक्लियर पावर परियोजनाओं को छोड़कर सभी भावी उत्पादन परियोजनाओं को प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए।

(xv) ओएण्डएम व्यय के लिए मानदण्डों को केविविआ द्वारा अधिक कड़ा बनाना चाहिए।

(xvi) कार्य पूंजी पर ब्याज के मानदण्ड पीएलएफ के कम होते स्तर की मौजूदा वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए केविविआ द्वारा पुनरीक्षा की जानी चाहिए जिससे कम ईंधन स्टॉक अपेक्षा इत्यादि होता है।

बैठक के दौरान सहमत सुझावों को शामिल करने के बाद ''रिटेल टैरिफ को प्रभावित करने वाले घटक और उनका पता लगाए जाने वाले तरीके'' पर रिपोर्ट 30.4.2021 को आयोजित एफओआर की 75वीं बैठक के दौरान अंतिम रूप दिया गया।

2. वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबद्ध लागतों का पुनरीक्षण करना

कार्य ग्रुप 9.4.2021 को आयोजित एफओआर की 74वीं बैठक के दौरान गठन किया गया। कार्य ग्रुप के सदस्य निम्नानुसार है।

i. श्री सुतिरथा भट्टाचार्य, अध्यक्ष पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग – अध्यक्ष

ii. श्री यू. एन. बेहेरा, अध्यक्ष उड़ीसा विद्युत विनियामक आयोग – सदस्य

iii. श्री राज प्रताप सिंह अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग – सदस्य

iv. श्री प्रेमन दिनराज अध्यक्ष केरल विद्युत विनियामक आयोग – सदस्य

v. डॉ सुशांत के. चटर्जी, प्रमुख (विनियामक मामले) केविविआ – संयोजक

कार्य विस्तार निम्नानुसार है:

i. भौतिक और ऑनलाइन ढंग से आयोजित कार्यक्रमों के लिए विभेदक लागतों की किस्म।

ii. उपयुक्त संस्थाओं के चयन की प्रक्रिया और उनका कार्यक्रम लागत संरचना ।

iii. ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उपयुक्त संस्थाओं के चयन और खर्चों के तर्कसंगतता के लिए पद्धति का सुझाव देना।

कार्य ग्रुप की मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार हैं :

1 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया जाए :

क आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए (देशी/अंतरराष्ट्रीय)

ख आयोग के अधिकारी और स्टाफ के लिए (देशी/अंतरराष्ट्रीय)

2 मान्यता प्राप्त संस्थाओं को (विगत में संबद्ध और नई संस्थाएं) रोटेशन आधार पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम और प्रशिक्षण के लिए एफओआर सचिवालय द्वारा उल्लिखित किया जाए।

3 आंतरिक स्रोतों तथा विशेषज्ञता का पता लगाने के लिए केविविआ, एसईआरसी, जेईआरसी को एफओआर सचिवालय द्वारा लिखना। उन्हें इनहाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन और सहभागियों को हॉस्ट करने के लिए वालंटियर तथा संसाधन टूल, प्रशिक्षण अपेक्षाओं की उपलब्धता करें।

4 एफओआर सचिवालय सदस्यों द्वारा यथाप्रदत्त संसाधन पूल का संकलन करेगा और प्रशिक्षण संकाय के

रूप में शामिल करने के लिए कार्यक्रमों के विषय पर आधारित चुनिंदा प्रशिक्षण संस्थाओं को उसे प्रेषित करेगा।

5 एफओआर सचिवालय पायलट कार्य के रुप में आने वाले दो तीन महीनों में ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना करेगा। सहभागियों से फीडबैक प्राप्त करेगा और उसके बाद भविष्य में इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करने का निर्णय करेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रमों की लागत और विदेश यात्रा की लागत एफओआर द्वारा वहन की जाएगी जबकि देशी यात्रा की लागत संबंधित ईआरसी द्वारा वहन की जाएगी जिसके आयुक्त/अधिकारी कार्यक्रम के लिए नामित किए जाते हैं।

6 मानदेय भारत सरकार/राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार प्रशिक्षण संकाय के रूप में उनकी भूमिका के लिए सदस्यों के स्टाफ के लिए अदा किया जाए।

7 एफओआर सचिवालय केविविआ, एसईआरसी, जेईआरसी से प्राप्त सूचना के आधार पर 31.3.2022 तक प्रशिक्षण कलैण्डर (अग्रिम में छः माह) तैयार करें।

एफओआर ने 1.10.2021 को आयोजित अपनी 76वीं बैठक में कार्य ग्रुप की रिपोर्ट और सिफारिशें अंगीकार की।

3. वितरण आस्तियों के लिए मूल्यह्रास की दरें, निवेश पर रिटर्न और वितरण क्षेत्र पर प्रचालनकारी मानदण्ड विकसित करना।

कार्य दल 9.4.2018 को आयोजित एफओआर की 63वीं बैठक के दौरान गठित किया गया। कार्य दल के सदस्य निम्नानुसार है :

i. श्री पी. के. पुजारी, अध्यक्ष केविविआ – अध्यक्ष
ii. सुभाष चन्द्र दास, अध्यक्ष/सदस्य, असम विद्युत विनियामक आयोग – सदस्य
iii. एस. के. नेगी, अध्यक्ष/सदस्य बिहार विद्युत विनियामक आयोग – सदस्य
iv. आनंद कुमार, अध्यक्ष/सदस्य गुजरात विद्युत विनियामक आयोग – सदस्य
v. श्री प्रेमन दिनराज, अध्यक्ष/सदस्य केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग – सदस्य
vi. रबिन्द्र नाथ सैन, अध्यक्ष/सदस्य पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग – सदस्य
vii. डॉ. सुशांत के. चटर्जी, प्रमुख (विनियामक मामले) केविविआ – संयोजक

कार्य क्षेत्र निम्नानुसार है :

i. केविविआ द्वारा विकसित उत्पादन और पारेषण आस्तियों के लिए मूल्यह्रास दरों को उचित रूप से संशोधित करते हुए वितरण आस्तियों के लिए मूल्यह्रास की दरों के विषय की जांच करना।
ii. फोरम के विचार के लिए वितरण आस्तियों के लिए सिद्धांत/दरों के अवधारण के लिए उपयुक्त ड्राफ्ट मार्गनिर्देश विकसित करना।
iii. वितरण आस्तियों के मूल्यह्रास के अवधारण के लिए विभिन्न सिद्धांतों का पुनरीक्षण जिसे एसईआरसी द्वारा अपनाया गया है।
iv. विद्युत अधिनियम 2003, केन्द्रीय विद्युत अधिकरण या किसी अन्य सांविधिक निकाय द्वारा अधिसूचित विभिन्न विनियम और टैरिफ पॉलिसी के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विद्युत क्षेत्र के लिए निवेश पर रिटर्ज और प्रचालन मांग दण्ड की मांग करना।
v. उत्तम पद्धितियों का पता लगाना और मौजूदा मांगदण्डों के कार्यान्वयन में मुख्य चुनौतियां (उपभोक्ता मिक्स, भार मिक्स, राज्य/प्राइवेट स्वामित्व की वितरण यूटिलिटी इत्यादि) और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों का सुझाव देना।

vi. प्रचलित क्षतिपूर्ति तंत्र का अध्ययन, यदि कोई है जिसमें (क्रम संख्या 3(क) में विनिर्दिष्ट प्रचालन मानदण्डों के संबंध में डिस्कॉम के कुशल या अकुशल प्रचालन के लिए प्रोत्साहन/गैर प्रोत्साहन को उपभोक्ताओं से शेयर किया जाता है।

vii. उक्त से संबंधित कोई अन्य सुझाव, वितरण क्षेत्र के प्रचालन मानदण्डों पर मॉडल मार्गनिर्देशों को विकसित करना।

कार्य दल की प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार है :

मूल्यह्रास पर सिफारिशें

1 वितरण कंपनियों में प्रचलित मौजूदा पद्धति और विषयों का पुनरीक्षण से संकेत मिलता है कि कुछ क्षेत्रों में सुधार अपेक्षित है। इसके आधार पर निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं।

2 आस्ति श्रेणियां और उप श्रेणियां कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार आस्ति संघटनीकरण के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए और लेखा मानदण्डों को पता लगाए जाने की आवश्यकता है। इसमें आस्तियों की सही ग्रुपिंग को परिभाषित करना और इन आस्तियों की श्रेणियों/उप श्रेणियों के अधीन आस्तियों के उपयोगी जीवन का अवधारण शामिल है।

3 यह सलाह दी जाती है कि आस्तियों का उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास दर आधारित होनी चाहिए। इस प्रकार का उपयोगी जीवन अवधारण को उन मामलों में विशेष रूप से समय समय पर पुनरीक्षा की जानी चाहिए जहां आस्तियों में तकनीकी विकास है जो उनके उपयोग को प्रभावित करता है।

4 संभव सीमा तक सभी राज्य विनियामक आयोगों द्वारा मूल्यह्रास दरों को मानकीकृत किया जाए। इससे सभी राज्यों में वितरण टैरिफ को सामान्य करने में मदद होगी। इस संबंध में विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों के लिए प्रस्तावित उपयोगी जीवन को एकसमान मूल्यह्रास दर को अवधारित करने के लिए प्रयुक्त किया जाए। साल्वेज मूल्य की प्रतिशतता (सामान्य रूप से 10 प्रतिशत पर) को इस बात पर विचार करते हुए पुनरीक्षा की जाए कि आस्तियों का निराकरण/निपटान की लागत और इन आस्तियों के लिए स्क्रैप की वसूली वितरण में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है।

5 सभी आस्तियों के लिए जो आईटी और संचार प्रणाली, भवन, सिविल कार्य, कार्यालय उपकरण, फर्नीचर और फिक्सचर, वाहन इत्यादि जैसे वितरण कारोबार के लिए विनिर्दिष्ट नहीं है वहां विनियम विनिर्दिष्ट कर सकते हैं कि कंपनी अधिनियम के अनुसार इन आस्तियों के लिए दर/उपयोगी जीवन लागू हो सकता है।

6 एसईआरसी आरंभिक वर्षों के लिए मूल्यह्रास दरों की मौजूदा पद्धति का पुनरीक्षण कर सकते हैं जिसके बाद शेष मूल्यह्रास परियोजना की आरंभिक अवधि के दौरान ऋण पुनर्भुगतान पर विचार करते हुए आस्तियों के शेष उपयोगी जीवन का विस्तार अपेक्षित है।

7 सभी वितरण कंपनियों को उक्त तथा विनिर्दिष्ट नियत आस्ति रजिस्टर के रखरखाव के लिए राज्य विनियामक आयोगों द्वारा निर्देश दिया जाए। इस प्रकार के आस्ति रजिस्टर में निम्नलिखित को शामिल किया जाए।

क. खरीद की तारीख, स्थापन्न की तारीख/उपयोग के लिए उपलब्ध, आस्ति श्रेणी/उप श्रेणी जिससे यह संबंधित है जैसे व्यैक्तिक आस्ति मद स्तर के ब्योरे।

ख. प्रत्येक व्यैक्तिक आस्ति पर प्रभारित मूल्यह्रास जब तक यह साल्वेज मूल्य फ्रेशहोल्ड प्राप्त करता है।

ग. व्यैक्तिक आस्ति अव कमीशनिंग/स्क्रैपिंग का रिकार्ड और तुलनपत्र में सकल ब्लाक को कम करना।

वितरण मार्जिन पर सिफारिशें

1 एसईआरसी, आरओई आधारित मार्जिन अवधारण को जारी रख सकता है। यह यूटीलिटी से पर्याप्त और सही डाटा की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। इसके अलावा एसईआरसी मौजूदा कार्यनिष्पादन पैरामीटर के विस्तृत उद्यम को पूरा करें और आरओई के अवधारण के लिए कार्यनिष्पादन पैरामीटर की उपयुक्त सीमा को निर्धारित करें।

2 जैसे ही स्मार्ट मीटर का अंगीकरण में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता अधिकार का कार्यान्वयन आसान हो जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए एसईआरसी क्रमिक मार्ग के लिए रोडमैप उपभोक्ता स्तर कार्यनिष्पादन में कर सकता है। इसके साथ साथ एसईआरसी आरओई आधारित वितरण मार्जिन को फेसआउट कर सकता है और पुरस्कार/दण्ड के लिए तंत्र के रूप में केवल उपभोक्ता स्तर कार्यनिष्पादन पैरामीटर रख सकता है।

एफओआर ने 1.10.2021 को अपनी 76वीं बैठक में कार्य दल की रिपोर्ट और सिफारिशों को अंगीकार किया।

ग. पूरे किए गए अध्ययन

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान एफओआर द्वारा किए गए अध्ययन और अध्ययन रिपोर्ट में की गई सिफारिशें पर नीचे विचार विमर्श किया गया:

1. वितरण आस्तियों और वितरण के लिए प्रचालन और वित्तीय मानदण्ड के लिए मूल्यह्रास के सिद्धांतों को विकसित करने पर अध्ययन

9 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली में आयोजित 63वीं बैठक में एफओआर ने ''निवेश पर रिटर्न'' और ''वितरण क्षेत्र में प्रचालन मानदण्ड'' के लिए मानकों को परिभाषित करने सहित सीईआरसी द्वारा विकसित उत्पादन और पारेषण अस्तियों के लिए मूल्यह्रास दरों को उपयुक्त रूप से संशोधित करते हुए वितरण आस्तियों के लिए मूल्यह्रास के मानक दरों को विकसित करने के लिए कार्यसमूह के गठन का निर्णय लिया गया। तदानुसार, अध्यक्ष सीईआरसी की अध्यक्षता में एक छः सदस्यीय ग्रुप गठित किया गया।

इस अध्ययन का उद्देश्य विद्युत वितरण क्षेत्र में मूल्यह्रास की संगणना की विभिन्न पद्धतियों को विश्लेषित करना और टैरिफ अवधारण तथा लेखांकन के संबंध में विषयों को समझना रहा है। इस अध्ययन में भारत में अन्य अवसंरचनात्मक क्षेत्र सहित विभिन्न वितरण क्षेत्र में मूल्यह्रास मानदण्डों के तुलनात्मक विश्लेषण और बैंचमार्किंग को शामिल किया गया है। इस अध्ययन में कारोबार और विनियामक वातावरण में परिवर्तनों के सदर्भ में सुझाव तथा वितरण मार्जिन पर 2009 की एफओआर रिपोर्ट की समीक्षा को भी कवर किया गया है।

मूल्यह्रास पर यूटीलिटी द्वारा मूल्यह्रास को प्रभारित करने में मुख्य विषय में निम्नलिखित को शामिल किया गया।

क. नियत आस्ति रजिस्टर का अभाव : मौजूदा स्थिति में अधिकांश यूटिलिटी के पास स्थान नहीं है। इससे प्रत्येक आस्ति श्रेणी/वर्ग की स्थिति को ठीक से निर्धारित करने में यूटिलिटी नियंत्रित होती है।

ख. आस्तियों का वर्गीकरण और श्रेणीकरण : यूटिलिटी सामान्य रूप से अधिकांश विद्युत नेटवर्क को वर्गीकृत करती हैं जिसमें ''संयंत्र एवं मशीनरी'' के अधीन एलटी लाइन, एचटी लाइन और उपकेन्द्र शामिल हैं और ट्रांसफार्मर/ओवरहेड लाइनों के लिए यथाअनुमोदित आस्तियों की एकसमान दरों का उपयोग करती हैं।

ग. उपयोगी जीवन : वितरण आस्तियों का उपयोगी जीवन कई टैरिफ विनियमों में सभी आस्ति श्रेणियों के लिए विशेष रूप से निर्धारित नहीं किया जाता जिससे टैरिफ विनियमों में निर्धारित इसी प्रकार की दरों में समूची आस्ति श्रेणियों पर मूल्यह्रास दरों का उदग्रहण होता है।

स्टेकहोल्डरों की इनपुट के आधार पर अध्ययन में यह सिफारिश की गई कि :

क. बड़े उपकरण का उपयोगी जीवन और आस्ति ग्रुप नीचे सारणी में दिया गया है:

क्र.सं.	उपकरण	उपयोगी जीवन (वर्षों में)
1.	पावर ट्रांसफार्मर	25
2.	वितरण ट्रांसफार्मर	20
3.	स्विचगियर	10–15
4.	11केवी लाइन	25
5.	एलटी लाइन	20
6.	अण्डरग्राउंड केबल	25
7.	मीटर	10–15

ख. आस्ति श्रेणियां और उप श्रेणियों को कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार आस्ति संघटकीकरण के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए और लेखांकन मानक का पता लगाए जाने की आवश्यकता है।

ग. मूल्यह्रास दरें आस्ति के उपयोगी जीवन पर आधारित होनी चाहिए। इस प्रकार का उपयोगी जीवन अवधारण की समय समय से समीक्षा की जा सकती है।

घ. जहां तक संभव हो, सभी राज्य विनियामक आयोगों द्वारा मूल्यह्रास दरों को मानकीकृत किया जा सकता है। सालवेज मूल्य की प्रतिशतता (सामान्यता 10 प्रतिशत) कि यह विचार करते हुए पुनरीक्षा की जाए कि आस्तियों के निराकरण/निपटान की लागत तथा इन आस्तियों के लिए स्क्रेप की वसूली वितरण में महत्वपूर्ण नहीं है।

ङ. सभी आस्तियों के लिए जो आईटी और संचार प्रणाली, भवन, सिविल कार्य, कार्यालय उपकरण, फर्नीचर और फिक्सचर, वाहन इत्यादि जैसे वितरण कारोबार के लिए विनिर्दिष्ट नहीं है तो विनियम यह विनिर्दिष्ट कर सकते हैं कि इन आस्तियों के लिए दरें/उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम के अनुसार होंगे।

च. एसईआरसी आरंभिक 12 वर्षों के लिए मूल्यह्रास दरों की मौजूदा पद्धति की पुनरीक्षा कर सकते हैं जिसके बाद शेष मूल्यह्रास परियोजना की आरंभिक अवधि के दौरान ऋण पुनर्भुगतान पर विचार करते हुए शेष उपयोगी जीवन में करना अपेक्षित है।

वितरण मार्जिन पर अध्ययन में यह सिफारिश की गई है कि :

क. एसईआरसी आरओई आधारित मार्जिन अवधारण के उपयोग को जारी रखे। यह यूटिलिटी से सही डाटा और सही और पर्याप्त डाटा की उपलब्धता पर निर्भर होगा। इसके अलावा एसईआरसी मौजूदा कार्यनिष्पादन पैरामीटर को कार्यान्वित करे और आरओई के अवधारण के लिए कार्यनिष्पादन पैरामीटरों की उपयुक्त सीमाएं निर्धारित करें।

ख. जैसे ही स्मार्ट मीटर के अंगीकरण में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता अधिकार (नियम) का कार्यान्वयन आसान हो जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए एसईआरसी उपभोक्ता स्तर कार्यनिष्पादन में क्रमिक मार्गस्थ के लिए रोडमैप विकसित कर सकता है। इसी के साथ साथ एसईआरसी आरओई आधारित वितरण मार्जिन कर सकता है और रिवार्ड/दण्ड के लिए तंत्र के रूप में उपभोक्ता स्तरीय कार्यनिष्पादन पैरामीटर रख सकता है।

घ. क्षमता निर्माण कार्यक्रम

एफओआर का एक मुख्य उत्तरदायित्व ईआरसी के कार्मिक का क्षमता निर्माण है। निम्नलिखित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2021–22 में फोरम द्वारा आयोजित किए गए:

1 20–21 जनवरी, 2022 के दौरान सीजीआरएफ के अधिकारियों और लोकपाल के लिए ''उपभोक्ता हित के संरक्षण'' पर दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम।

कार्यक्रम के दौरान कवर किए गए मुख्य विषय नियमानुसार है:

क. विनियामक फ्रेमवर्क की भूमिका और उपभोक्ता एडवोकेसी का संस्थानीकरण

ख. उपभोक्ता शिक्षा सशक्तिकरण और निधि के लिए संभावित विकल्प और रणनीतियां

ग. उपभोक्ता शिकायतों के संचालन के लिए क्रियाविधि – एक मॉडल तंत्र

घ. उपभाक्ता सशक्तिकरण और शिकायत निवारण तंत्र

ङ. विद्युत अधिनियम 2003 और उपभोक्ता हित के संरक्षण पर बल देते हुए विनियामक उपबंध

च. विद्युत क्षेत्र में उपभोक्ताओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय और सवैंधानिक कानून

छ. ग्राहक सेवा पद्धतियों में सुधार के लिए तकनीक का हस्तक्षेप

ज. सीजीआरएफ और विद्युत लोकपाल के समक्ष उत्पन्न महत्वपूर्ण विधिक विषय

2 17–18 फरवरी, 2022 के दौरान एसईआरसी/जेईआरसी के अधिकारियों के लिए ''विद्युत क्षेत्र में विनियामक फ्रेमवर्क'' पर दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम के दौरान कवर किए गए महत्वपूर्ण विषय निम्नानुसार है:

क. विद्युत क्षेत्र में विनियामक संगतता और सरकारी पहल विद्युत अधिनियम, 2003 विनियामक उपबंध

ख. विद्युत अधिनियम 2003 संक्षिप्त मामला विचार विमर्श

ग. विद्युत अधिनियम 2003 – संक्षिप्त मामला विचार विमर्श

घ. भारतीय विद्युत ग्रिड कोड विनियम, 2010

ङ. नवीकरणीय अनुसूचीकरण, प्रेषण और विचलन व्यवस्थापन तंत्र

च. विद्युत के अंतरराज्यिक पारेषण के लिए अनुमोदन प्रदान करना और क्रियाविधि। अल्पकालिक निर्बाध पहुंच के लिए निबंधन व शर्तें

छ. विनियामक फ्रेमवर्क (भारतीय विद्युत क्षेत्र में विनियामक संस्थाएं और उनकी कार्यप्रणाली – सीईआरसी और एसईआरसी के उद्देश्य, गठन और कार्य)

ज. एपटेल और एफओआर की भूमिका, सीईआरसी और संबंधित एसईआरसी द्वारा की गई विनियामक पहल, प्रादेशिक विद्युत समिति का गठन और भूमिका

झ. विद्युत बाजार विनियम 2021 – भारत में पावर एक्सचेंज – पुनर्वालोकन

ञ. पॉलिसी मार्गनिर्देश और उद्देश्य – राष्ट्रीय विद्युत योजना, राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति

ट. विनियामक विषय और मध्यस्थता

3 9 से 11 मार्च 2022 के दौरान वर्चुअल मोड के माध्यम से ईआरसी के अधिकारियों के लिए 15वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम

कार्यक्रम के दौरान कवर किए गए मुख्य विषय निम्नानुसार है:

क. टैरिफ अवधारण के लिए विनियामक दृष्टिकोण की अर्थशास्त्र

ख. उत्पादन के लिए विनियमित टैरिफ अवधारण

ग. सामान्य नेटवर्क पहुंच : पारेषण पहुंच और पारेषण प्रभारों के लिए प्रभाव

घ. एआरआर के लिए एमवाईटी फ्रेमवर्क और डिस्कॉम के लिए टैरिफ अवधारण

ङ. विद्युत प्रणाली प्रचालन और विचलन व्यवस्थापन तंत्र

च. पावर एक्सचेंजों का प्रचालन और हाल की उपलब्धियां

छ. हाल की विधिक उपलब्धियां और एपटेल आदेश

ज. संसाधन पर्याप्तता : सिद्धांत और पद्धतियां

झ. कार्यनिष्पादन के मानक – कार्यान्वयन और विनियामक चुनौतियां

ञ. ग्राहक सेवा के लिए और उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए तकनीकी हस्तक्षेप

ट. विद्युत बाजार के लिए डेरिवेटिव हेतु पुनर्वालोकन

3 2021-22 के दौरान विनियामक फोरम के सदस्य विनियामक निकायों की उपलब्धियां (सीईआरसी/एसईआरसी/जेईआरसी)

क. सीईआरसी

1. सीईआरसी (विद्युत बाजार) विनियम, 2021

आयोग ने व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित 18.7.2020 को सीईआरसी ड्राफ्ट (विद्युत बाजार) विनियम 2020 जारी किया जिसमें स्टेकहोल्डर से टिप्पणियां/सुझावों की मांग की है। उसके बाद आयोग ने 14.8.2020 को ड्राफ्ट विनियमों पर सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की।

विस्तृत विश्लेषण के बाद और स्टेकहोल्डरों द्वारा दी गई टिप्पणियों और सुझावों पर विचार करने के बाद सीईआरसी (विद्युत बाजार) विनियम 2021 को अंतिम रूप दिया गया और 15.02..2021 को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया गया। विनियम 15.8.2021 से प्रवृत्त हुआ।

पीएमआर विनियम 2021 की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है :

- विनियमों में विभिन्न बाजार की भूमिका और उत्तरदायित्व सहित क्षमता कांट्रेक्ट और सहायक कांट्रेक्ट को शामिल करते हुए विभिन्न प्रकार के डिलीवरी आधारित कांट्रैक्टों को परिभाषित किया गया।
- विनियम पावर एक्सचेंजों या ओटीसी बाजार पर विद्युत से संबद्ध विभिन्न प्रकार के अंतरराज्यिक डिलीवरी आधारित कांट्रेक्टों के लिए लागू होंगे।
- विनियमों में विभिन्न प्रकार के डिलीवरी आधारित कांट्रेक्टों के लिए कीमत डिस्कवरी, डिलीवरी और व्यवस्थापनों के लिए निबंधन व शर्तों को विनिर्दिष्ट किया गया है।
- विनियमों में किसी अवधि के लिए टर्मअहेड कांट्रेक्टों को संशोधित किया गया है जहां विद्युत की भौतिक डिलीवरी संव्यवहार की तारीख से एक दिन आगे से अधिक तारीख पर घटित होती है (टी+2 या अधिक)। तदानुसार इस प्रकार के टर्मअहेड कांट्रेक्टों की डिलीवरी अवधि दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या मौसमी, वार्षिक या वर्ष से आगे की कोई अवधि हो सकती है।
- विनियमों में बाजार वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए पावर एक्सचेंजों के लिए पात्रता मानदण्ड, शुद्ध मालियत और सुशासन संरचना को विनिर्दिष्ट किया गया।
- विनियमों में पावर एक्सचेंजों और संकुलता प्रबंधन द्वारा प्रस्तारित सूचना के लिए मार्गनिर्देशों की व्यवस्था है।
- विनियमों में संव्यवहार फीस और व्यापार मार्जिन के लिए विनिर्दिष्ट उपबंधों की व्यवस्था है।
- पावर एक्सचेंजों को 6 महीने की अवधि के अंदर नए विनियमों के साथ उनके नियम और उपनियम समरूप करना अपेक्षित है।
- विनियमों में प्रभावी जोखिम प्रबंधन और बाजार निगरानी के लिए विस्तृत उपबंध है।

- विनियमों में विनिर्दिष्ट बाजार के लिए विनिर्दिष्ट उपबंध हैं जिनके द्वारा सभी पावर एक्सचेंजों से एकत्रित की गई बोलियों को बाजार कपलिंग प्रचालक द्वारा एकसमान बाजार क्लियरिंग कीमत का पता लगाने के लिए सभी प्रकार की बोलियों पर विचार करने के बाद मिलान किया जा सकेगा तथापि इन विनियमों बाजार कपलिंग प्रचालक और बाजार कपलिंग के संबंध में उपबंधों को प्रभाव में लाने के लिए जब भी आयोग द्वारा निर्णय किया जाता है तब आयोग द्वारा अलग से विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

  विनियमों में ओटीसी प्लेटफार्म की बाध्यता और पात्रता मानदण्ड सहित ओटीसी प्लेटफार्म के प्रचालन और स्थापना के लिए शर्तों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. सीईआरसी (सहायक सेवाएं) विनियम 2022

सीईआरसी ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 की उपधारा (1) के खण्ड (ज)(झ) के साथ पठित धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 31 जनवरी 2022 को सीईआरसी (सहायक सेवाएं) विनियम को अधिसूचित किया गया। इन विनियमों का उद्देश्य 50एचजेड के निकट ग्रिड फ्रिक्वेंसी बनाए रखने के लिए प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर सहायक सेवाओं के नियोजन और भुगतान तथा पारेषण नेटवर्क में संकुलता के उनमोचन के लिए और ग्रिडकोड में यथाविनिर्दिष्ट स्वीकार्य बैण्ड के अंदर ग्रिड फ्रिक्वेंसी की बहाली के लिए, प्रशासित एव बाजार आधारित तंत्र के माध्यम से प्राप्ति के लिए तंत्र की व्यवस्था करना है ताकि विद्युत प्रणाली के सुचारु प्रचालन और ग्रिड की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

विनियमों में ऊर्जा स्टोरेज और मांग अनुक्रिया जैसे संसाधनों सहित टैरिटरी रिज़र्व सहायक सेवा और द्वितीयक सहायक सेवा जैसी सहायक सेवाओं भुगतान और नियोजन, प्राप्ति के तंत्र की व्यवस्था है। विनियम में ऊर्जा के लिए वास्तविक समय बाजार और मौजूदा डेअहेड बाजार में अलग सहायक सेवा उत्पाद के माध्यम से टीआरएस के लिए बाजार आधारित तंत्र की व्यवस्था है।

यह विनियम ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे जिन्हें आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

3. सीईआरसी (विचलन व्यवस्थापन तंत्र) विनियम, 2022 सीईआरसी (सहायक सेवाएं) विनियम 2022

सीईआरसी ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 की उपधारा (1) के खण्ड (ग)(ज) के साथ पठित धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 14 मार्च 2022 को सीईआरसी (विचलन व्यवस्थापन तंत्र) विनियम को अधिसूचित किया गया। इन विनियमों का उद्देश्य वाणिज्यिक तंत्र के माध्यम से यह सुनिश्चित करना है कि ग्रिड के प्रयोक्ता विचलित नहीं होते और ग्रिड की स्थिरता और सुरक्षा के हित में विद्युत के अंतःक्षेपण प्रत्याहार की उनकी अनुसूची का पालन करते हैं।

विनियमों में विनियम ग्रिड की स्थिरता और सुरक्षा, विश्वसनीयता के हित में विद्युत के अंतःक्षेपण या प्रत्याहार की अनुसूची से विचलन के व्यवस्थापन और संव्यवहार के लिए विनियामक तंत्र की व्यवस्था है। विनियमों में अन्य बातों के साथ साथ विचलन की संगणना की पद्धति, प्रादेशिक इकाइयों पर उदग्रहित किए जाने वाले विचलन के लिए प्रभारों की भी व्यवस्था है यदि वे विद्युत के अंतःक्षेपण और प्रत्याहार और उनसे संबद्ध मामलों से विचलित हो जाते हैं।

यह विनियम ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे जिसे आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

4. सीईआरसी (विद्युत आपूर्ति का विनियम) विनियम 2010 – निरस्त करना

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 178 और अन्य सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीईआरसी (विद्युत आपूर्ति का विनियम) विनियम 2010 को विनिर्दिष्ट किया है जिसे सीईआरसी (विद्युत आपूर्ति का विनियम) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021 के माध्यम से संशोधित किया।

सीईआरसी ने 26.10.2021 के अधिसूचना सं. एल–1/42/2010/सीईआरसी के माध्यम से सीईआरसी (विद्युत आपूर्ति का विनियम) (प्रथम संशोधन) विनियम 2021 सहित सीईआरसी (विद्युत आपूर्ति का विनियम) विनियम 2010 को निरस्त किया।

5. ''अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित परियोजनाओं के लिए संयोजकता प्रदान करना'' के लिए संशोधित क्रियाविधि

सीईआरसी ने 20 फरवरी 2021 की अधिसूचना सं. एल–1/(3)/2009 सीईआरसी के माध्यम से सीईआरसी (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के विनियम 27 के अंतर्गत ''अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित परियोजनाओं को संयोजकता प्रदान करना'' के लिए क्रियाविधि के पुनरीक्षण के लिए अधिसूचित किया।

अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली में नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित परियोजनाओं के लिए संयोजकता प्रदान करने के लिए संशोधित क्रियाविधि में निम्नलिखित को शामिल किया गया है:

क. स्टेज–1 और स्टेज–2 कनेक्शन के लिए पात्रता
ख. संयोजकता और बैंक गारंटी के संबंध में उपबंध
ग. स्टेज–1 संयोजकता के लिए मॉनिटरिंग और आवेदन, ग्रांट, प्रगति
घ. स्टेज–2 संयोजकता के लिए आवेदन, ग्रांट, प्रगति और मॉनिटरिंग
ङ. स्टेज–2 संयोजकता प्रदान करने के बाद नवीकरणीय परियोजनाओं की प्रगति की मॉनिटरिंग
च. समर्पित पारेषण अवसंरचना की तकनीकी अपेक्षाएं
छ. स्टेज–2 संयोजकता की अतिरिक्त मात्रा (वृद्धि) के लिए आवेदन
ज. संयोजकता की शेयरिंग और समर्पित पारेषण लाइन
झ. स्टेज–2 संयोजकता ग्रांटी के पूलिंग स्टेशन का उपयोग

ख. राज्य विद्युत विनियामक आयोग

1) असम विद्युत विनियामक आयोग

निम्नलिखित विनियम को वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान अधिसूचित किया गया।

क. एईआरसी (बहुवर्ष टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम 2021

ख. एईआरसी (वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के कार्यनिष्पादन के मानक) विनियम 2021

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए:

क. असम पावर वितरण कंपनी लिमिटेड के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु टैरिफ और वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2024–25 के लिए एआरआर, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एपीआर, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ट्रूअप।

ख. नमरूप प्रतिस्थापन्न पावर प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए टैरिफ और वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2024–25 की नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर, वित्तीय वर्ष 2021–22 के एआरआर, पूंजी लागत का अनुमोदन।

ग. असम पावर उत्पादन कार्पोरेशन लिमिटेड के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए टैरिफ और वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए एआरआर, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एपीआर, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ट्रूअप।

घ. राज्य भार प्रेषण केन्द्र के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए टैरिफ और वित्तीय 2022–23 से वित्तीय 2024–25 के लिए एआरआर, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एपीआर, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ट्रूअप।

ङ. असम विद्युत ग्रिड कार्पोरेशन लिमिटेड के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए टैरिफ और वित्तीय 2022–23 से वित्तीय 2024–25 के लिए एआरआर, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एपीआर, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ट्रूअप।

च. असम पावर वितरण कंपनी लिमिटेड के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के संघटक क के अधीन एपीडीसीएल द्वारा विद्युत की प्राप्ति के लिए पूर्व नियत स्तरीकृत टैरिफ का अनुमोदन।

छ. असम पावर विद्युत कंपनी लिमिटेड के लिए क्षेत्र–2 (गोलपाड़ा, बोंगेगांव, बारपेटा, नलबाड़ी, कामरूप (ग्रामीण) एवं कामरूप (मेट्रो)) में जयंत खोंड के संबंध में पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से पता लगाए गए टैरिफ को अंगीकार करना।

ज. असम पावर वितरण कंपनी लिमिटेड के लिए क्षेत्र–1 (लॉवर असम जोन) और क्षेत्र–3 (कचर, हेलाकांडी और करीमगंज) में पुरषोत्तम प्रोफाइल प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से पता लगाए गए टैरिफ को अंगीकार करना।

2). आंध्रप्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए:

क. वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2023–24 के लिए चौथी नियंत्रण अवधि के लिए वितरण कारोबार हेतु विलिंग प्रभार और एआरआर के अवधारण के मामले में 2018 के ओपी संख्या 28 और 29 में आदेश

ख. चौथी नियंत्रण अवधि के लिए एपगेंको उत्पादन केन्द्रों के लिए टैरिफ के अवधारण के मामले में 2018 के ओपी संख्या 35 में आदेश।

ग. वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए खुदरा आपूर्ति टैरिफ आदेश पर आदेश

घ. ऊर्जा परियोजना में वेस्ट के लिए टैरिफ के अवधारण के मामले में 2018 के ओपी संख्या 24 में आदेश।

ङ सौर रूफटॉप पॉलिसी के कार्यान्वयन के लिए मोडेलिटी मार्गनिर्देशों के मामले में आदेश।

च. 2019 के ओपी संख्या 32 में एपीईपीडीसीएल में सौर रूफ टॉप पायलट कार्यक्रम ड्रिवन युटिलिटी पर आदेश।

छ. एपट्रेन्सों के टैरिफ में वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए पीओसी प्रभारों पर 2019 के ओपी संख्या 44 में आदेश।

ज. विस्तृत भार पूर्वानुमान और संसाधन योजनाओं के अनुमोदन पर आदेश

झ. मौजूदा बायोमास औद्योगिक वेस्ट और बगासे आधारित संयंत्रों के संबंध में 01.04.2019 से 31.03.2024 की अवधि के लिए परवर्ती लागत के मामले में आदेश।

3. बिहार विद्युत विनियामक आयोग

निम्नलिखित विनियम वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान अधिसूचित किया गया:

क. बिहार विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, विद्युत लोकपाल एवं उपभोक्ता एडवोकेसी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021

ख. बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बहुवर्ष पारेषण टैरिफ और एसएलडीसी प्रभार) विनियम, 2021

ग. बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बहुवर्ष वितरण) विनियम, 2021

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए:

क. उत्तरी बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु रिटेल टैरिफ के अवधारण और वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2024–25 की नियंत्रण अवधि के लिए एआआर, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एपीआर, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ट्रूअप।

ख. वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए पारेषण प्रभारों के अवधारण और वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2024–25 की नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एपीआर, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ट्रूइंगअप।

ग. वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए एसएलडीसी प्रभारों और वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2024–25 की नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एपीआर, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ट्रूअप।

4) छत्तीसगढ़ विद्युत विनियामक आयोग

निम्नलिखित विनियमों को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए अधिसूचित किया गया:

क. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग (अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाओं की शर्तें और भर्ती) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021

ख. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय बाध्यता और आरईसी फ्रेमवर्क) विनियम, 2021

ग. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ एवं प्रभारों से प्रत्याशित राजस्व के अवधारण के लिए क्रियाविधि और पद्धति तथा बहुवर्ष टैरिफ सिद्धांतों के अनुसार टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम, 2021

घ. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड इन्टरेक्टिव वितरित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021

आयोग ने निनलिखित आदेश जारी किए:

क. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1) (क) के साथ पठित धारा 62 के अधीन 2021 (टी) की याचिका संख्या 03। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए रिटेल आपूर्ति टैरिफ और एआरआर के अवधारण और वित्तीय वर्ष 2018–19 से वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए अंतिम ट्रूअप के मामले में।

ख. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1) (क) के साथ पठित धारा 62 के अधीन 2021 (टी) की याचिका संख्या 04। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2021–22 के टैरिफ और एआरआर के अवधारण और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए अंतिम ट्रूअप के मामले में।

ग. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1) (क) के साथ पठित धारा 62 के अधीन 2021 (टी) की याचिका संख्या 05। छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र के वित्तीय वर्ष 2021–22 के टैरिफ और एआरआर के अवधारण और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए अंतिम ट्रूअप के मामले में।

घ. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1) (क) के साथ पठित धारा 62 के अधीन 2021 (टी) की याचिका संख्या 09। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2021–22 के टैरिफ और एआरआर के अवधारण तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए अंतिम ट्रूअप के मामले में।

ङ भारत सरकार की पीएम कुसुम योजना के संघटक ग के अधीन सौर कृषि पम्प से अधिक पावर के क्रय के लिए दर और भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई पीएम कुसुम के संघटक क के अधीन स्थापित की जाने वाले 500 किलोवाट से 2 किलोमेगावाट की क्षमता वाले विकेन्द्रीकृत सौर विद्युत संयंत्रों से विद्युत की बिक्री के लिए फीडइन टैरिफ के लिए 2021 का स्वप्रेरणा याचिका संख्या 29 में 30 अक्तूबर 2021 को आदेश।

च. निम्नलिखित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आधारित वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए जेनरिक वरीयता टैरिफ के 2021 अवधारण की स्वप्रेरणा याचिका संख्या 43 में 12 अक्तूबर, 2021 का आदेश। क. मिनी/माइक्रो हाइड्रो परियोजनाओं (2 मेगावाट तक) विद्युत की आपूर्ति करने वाले विद्युत संयंत्र ख. 5 मेगावाट से कम लघु हाइड्रो परियोजनाएं ग. 5 मेगावाट से 10 मेगावाट की लघु हाइड्रो परियोजना घ. 10 मेगावाट से 25 मेगावाट तक लघु हाइड्रो परियोजनाएं ङ गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजनाएं

5). दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

निम्नलिखित विनियमों को वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान अधिसूचित किया गया:

क. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (ग्रुप नेट मीटरिंग और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए वचुर्अल नेटमीटरिंग) (चतुर्थ संशोधन) मार्गनिर्देश 2022

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए:

क. वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए 7 टैरिफ आदेश जारी किए गए (2 उत्पादन कंपनी आदेश, 1 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आदेश, 4 वितरण अनुज्ञप्तिधारी आदेश 31 मार्च, 2022 को या उससे पूर्व के हैं।)

6). गुजरात विद्युत विनियामक आयोग

- वर्ष 2021–22 के दौरान आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए 15 टैरिफ आदेश जारी किए। (2020–21 का ट्रूइंगअप, कुल राजस्व अपेक्षा का अनुमोदन और वित्तीय 2022–23 के लिए टैरिफ का अवधारण) जिसमें 2 उत्पादन कंपनी आदेश, 1 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आदेश, गुजरात एसएलडीसी आदेश और 11 वितरणअनुप्तिधारी आदेश 31 मार्च, 2022 को या उससे पूर्व शामिल हैं।

7) हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग

निम्नलिखित विनियमों को वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान अधिसूचित किया गया।

क. हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें, नवीकरणी क्रय बाध्यता और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र) विनियम, 2021

ख. हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (नेटमीटरिंग ग्रॉस मीटरिंग पर आधारित रूफटॉप सौर ग्रिड इन्टरेक्टिव प्रणाली) विनियम 2021

ग. हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत वाहनों के लिए अन्य विनियामक मुद्दे और अवसरंचना टैरिफ चार्जिंग की स्थापना के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम, 2022

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए:

क. वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ट्रूअप, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एपीआर (वर्ष के मध्म में) यूएचबीवीएनएल और डीएचबीवीएनएल का एआरआर तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वितरण और खुदरा आपूर्ति टैरिफ

ख. वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ट्रूअप, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एपीआर (वर्ष के मध्य में) और एआआर का अवधारण तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के लिए टैरिफ एवं प्रभारों का अवधारण।

ग. वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एपीआर और वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए उत्पादन टैरिफ का अवधारण

8) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

निम्नलिखित विनियमों को वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान अधिसूचित किया गया।

क. हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, विद्युत लोकपाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए:

क. हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड के उत्पादन कारोबार के लिए दूसरी नियंत्रण अवधि (वित्तीय वर्ष 2011–12 से वित्तीय वर्ष 2013–14 तक) का ट्रूअप एवं चौथी एमवाईटी नियंत्रण अवधि (वित्तीय वर्ष 2020–वित्तीय वर्ष 2024) के लिए बहुवर्ष टैरिफ आदेश।

ख. हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के अधीन वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए सौर पीवी परियोजनाओं के लिए जेनरिक स्तरीकृत टैरिफ का अवधारण (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन का उन्नयन और टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम, 2017

ग. हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के अधीन वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए सौर पीवी परियोजनाओं के लिए जेनरिक स्तरीकृत टैरिफ का अवधारण (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन का उन्नयन और टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम, 2017

9) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा एवं संघशासित प्रदेश)

निम्नलिखित विनियम वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान अधिसूचित किया गया:

क. संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति कोड) दूसरा संशोधन विनियम, 2021

ख. संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा की प्राप्ति) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022

आयोग ने निम्नलिखित आदेशों को जारी किया:

क्र.सं.	याचिका सं.	याचिकाकर्ता	याचिका का विवरण	आदेश की तारीख
1.	60/2021	पुदुचेरी पावर कार्पोरेशन लि.	तीसरा एमवाईटी नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर (वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2024–25), वित्तीय वर्ष 2019–20 का ट्रूअप और वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए उत्पादन टैरिफ का अवधारण	31.03.2022
2.	61/2021	ईडी–दादरा एवं नगर हवेली (ट्रांसमीशन)	तीसरा एमवाईटी नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर (वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2024–25), वित्तीय वर्ष 2019–20 का ट्रूअप और वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए उत्पादन टैरिफ का अवधारण	31.03.2022
3.	63/2021	ईडी–गोवा	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2024–25 तक की तीसरा एमवाईटी नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर का और वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए खुदरा टैरिफ के अवधारण का अनुमोदन।	31.03.2022
4.	66/2021	ईडी–दमन एवं दीव	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2024–25 तक की तीसरी नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर का अवधारण, वित्तीय वर्ष 2020–21 का ट्रूअप और वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए खुदरा टैरिफ का अवधारण।	31.03.2022

5.	68/2021	डीएनएचपी डीसीएल	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2024–25 तक की तीसरी नियंत्रण अवधि के लिए एमवाईटी अवधारण के लिए एआरआर, वित्तीय वर्ष 2021–22 का एपीआर, वित्तीय वर्ष 2020–21 का ट्रूअप और वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए खुदरा टैरिफ का अवधारण।	31.03.2022
6.	70/2021	ईडी–पुदुचेरी	वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए खुदरा टैरिफ का अवधारण और एआरआर तीसरी नियंत्रण अवधि और वित्तीय वर्ष 2021–22 का एपीआर, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ट्रूअप	31.03.2022
7.	75/2022	ईडी–लक्ष्द्वीप	वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए खुदरा आपूर्ति टैरिफ का अवधारण एवं तीसरा एमवाईटी नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर (वित्तीय वर्ष 2024–25 तक), वित्तीय वर्ष 2021–22 का एपीआर, वित्तीय वर्ष 2017–18 और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए ट्रूअप का अनुमोदन।	31.03.2022

10). संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (मणिपुर और मिजोरम)

निम्नलिखित विनियमों को वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान अधिसूचित किया गया:

क. मणिपुर एवं मिजोरम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति कोड) (चौदहवां एवं पंद्रहवां संशोधन) विनियम, 2021

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए:

क. मणिपुर राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के लिए टैरिफ आदेश, मणिपुर राज्य विद्युत कं. लि. तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए ऊर्जा एवं विद्युत विभाग मिजोरम

11) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख)

निम्नलिखित विनियमों को वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान अधिसूचित किया गया:

क. जेईआरसी, जेएण्डके एवं लद्दाख (जेईआरसी गोवा एवं संघाशासित प्रदेश के विभिन्न विनियमों का अंगीकरण) विनियम, 2021 (शासकीय राजपत्र में प्रकाशित)

वर्ष 2021–22 के दौरान आयोग द्वारा जारी किए गए आदेश

क. वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26 की नियंत्रण अवधि के लिए बहुवर्ष टैरिफ फ्रेमवर्क के अधीन कारोबार योजना एवं एआरआर से संबंधित यूटिलिटी की कार्यनिष्पादन की समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए टैरिफ अवधारण तथा पिछले वर्षों के ट्रूअप

12) कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान निम्नलिखित आदेश जारी किए:

क. कर्नाटक राज्य में आरंभ किए जाने वाले ऊर्जा संयंत्र के लिए वेस्ट के संबंध में 21.8.2020 के टैरिफ आदेश की वैधता का विस्तार (3.6.2021 का आदेश)

ख. नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2022 से वित्तीय वर्ष 2024 के लिए रैंकिन साइकल आधारित बायोमास नवीकरणीय ऊर्जा पावर परियोजनाओं के संबंध में टैरिफ का अवधारण (8.6.2021 का आदेश)

ग. नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2022–24 के लिए मिनी हाइडल पावर परियोजनाओं के संबंध में टैरिफ का अवधारण (8.6.2021 का आदेश)

घ. एक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के संबंध में वित्तीय वर्ष 2022 के लिए टैरिफ आदेश। 5 राज्य स्वामित्व डिस्कॉम के संबंध में खुदरा आपूर्ति टैरिफ, एक कॉऑपरेटिव सोसायटी और 2 एसईजेड (9.6.2021 का आदेश)

ङ वित्तीय वर्ष 2022 के लिए पवन जेनरिक टैरिफ का अवधारण (29.7.2021 का आदेश)

च. वित्तीय वर्ष 2022 से वित्तीय वर्ष 2023 के लिए एसआरटीपीवी सहित सौर ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में टैरिफ का अवधारण

छ. नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2022 से वित्तीय वर्ष 2024 के लिए सहउत्पादन विद्युत परियोजनाओं के संबंध में टैरिफ का अवधारण (15.11.2021 का आदेश)

ज. वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जेनरिक टैरिफ का अवधारण (10.2.2022 का आदेश)

13) केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग

निम्नलिखित विनियमों को वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान अधिसूचित किया गया:

क. केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) (संशोधन) विनियम, 2022

ख. केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम, 2021

निम्नलिखित टैरिफ आदेशों को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए जारी किया गया:

क. 1.4.2022 से केरल राज्य में केएसईबी लि. तथा अन्य सभी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत की खुदरा आपूर्ति के लिए निबंधन व शर्तें और टैरिफ की अनुसूची (24.3.2022 का आदेश)

14) महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग

निम्नलिखित विनियमों को वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान अधिसूचित किया गया:

क) बिलिंग साइकिल एमईआरसी ने कंट्रेक्ट मांग का प्रैक्टिस निर्देश पुनरीक्षण (पावर गुणवत्ता सहित वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के कार्यनिष्पादन के विद्युत आपूर्ति कोड एवं मानक), विनियम 2021

15) मध्यप्रदेश विद्युत विनियमाक आयोग

निम्नलिखित विनियमों को वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान अधिसूचित किया गया:

क. मध्यप्रदेश विद्युत विनियामक आयोग में आठवां संशोधन (आपूर्ति प्रदान करने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त संयंत्र या इलेक्ट्रिक लाइन प्रदान करने के लिए अन्य प्रभारों और व्यय की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण-i) 2009

ख. मध्यप्रदेश विद्युत आपूर्ति कोड 2021, 2021 का आरजी (i)(ii)

ग. एनपीईआरसी (उपभोक्ताओं के शिकायतों के निवारण के लिए विद्युत लोकपाल और फोरम की स्थापना) (पुनरीक्षण-II) विनियम, 2021

घ. एनपीईआरसी में नवां संशोधन (ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत का सहउत्पादन और उत्पादन) (पुनरीक्षण-I) विनियम 2010 (2010 का आरजी 33(I))

ङ. मध्यप्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत का सहउत्पादन और उत्पादन) (पुनरीक्षण-II) विनियम 2021

च. मध्यप्रदेश विद्युत विनियामक आयोग का छठा संशोधन (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) (पुनरीक्षण-I) विनियम, 2009

छ. मध्यप्रदेश विद्युत विनियामक आयोग में प्रथम संशोधन (वितरण कार्यनिष्पादन मानक (पुनरीक्षण-II) 2021 का विनियम 2012 (एआरजी) (II) (I))

ज. मध्यप्रदेश विद्युत विनियामक आयोग का दूसरा संशोधन (प्रतिभूति जमा) (पुनरीक्षण-I) विनियम, 2009 (2021 का एआरजी 17 (I) (II))

झ. एनपीईआरसी (विद्युत की व्हीलिंग और आपूर्ति के लिए टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के लिए पद्धतियां एवं सिद्धांत) विनियम 2021, 2021 का (आरजी 35 (III))

ञ. मध्यप्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अंतःराज्यिक निर्बाध पहुंच के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम, 2021 (पुनरीक्षण-I) (2021 का आरजी 24(-I))

निम्नलिखित टैरिफ आदेश वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए अधिसूचित किए गए:

क. मध्यप्रदेश राज्य में बायोगैस आधारित विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत की प्राप्ति के लिए टैरिफ का अवधारण

ख. मध्यप्रदेश राज्य में बगासे आधारित सहउत्पादन परियोजनाओं से वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत की प्राप्ति के लिए टैरिफ का अवधारण

ग. मध्यप्रदेश राज्य में बायोगैस आधारित विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत की प्राप्ति के लिए टैरिफ का अवधारण

घ. मध्यप्रदेश राज्य में एमएसडब्ल्यू आधारित विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत की प्राप्ति के लिए टैरिफ का अवधारण

ङ. वितरण अनुज्ञप्तिधारियों अर्थात् मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. (पूर्व डिस्कॉम), मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. (पश्चिम डिस्कॉम), मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लिं. (केन्द्रीय डिस्कॉम) और एमपी पावर प्रबंधन कं. लि. द्वारा दाखिल टैरिफ याचिका और एआरआर पर आधारित वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए खुदरा आपूर्ति टैरिफ और कुल राजस्व अपेक्षा का अवधारण

च. पिथमपुर एरिया, जिला धार, मध्यप्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा दाखिल आवेदन पर आधारित वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए टैरिफ और कुल राजस्व अपेक्षा का अवधारण

छ. एमपीईआरसी (उत्पादन टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम 2020 पर आधारित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 और 86 (I) (क) के अधीन वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24 की नियंत्रण अवधि के लिए एमपीपीजीसीएल की थर्मल एवं हाइडल पावर केन्द्रों के बहुवर्ष टैरिफ का अवधारण।

ज. वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24 की बहुवर्ष टैरिफ नियंत्रण अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए एमपीपीटीसीएल याचिका

झ. वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2026–27 तक की बहुवर्ष टैरिफ अवधि के लिए एआरआर की दाखिल करने के मामले में और खुदरा आपूर्ति कारोबार एवं वितरण के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए टैरिफ प्रस्ताव के मामले में (पी नं. 4 / 2022)

ञ. वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए जब एसएलडीसी जबलपुर के लिए एआरआर का अवधारण, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एसएलडीसी द्वारा फीस एवं प्रभारों का उदग्रहण और संग्रहण, वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए एआरआर का ट्रूअप और वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए एसएलडीसी का पूंजी व्यय योजना का अनुमोदन (पी नं. 28/2021)

16) मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग

निम्नलिखित विनियम वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान अधिसूचित किए गए:

क. मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा क्रय बाध्यता और इसका अनुपालन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2018

ख. मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग (बहुवर्ष टैरिफ) (प्रथम संशोधन) विनियम 2021

ग. मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रम 2021 के लागत प्रभावशीलता निर्धारण से संबंधि मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग मार्गनिर्देश

निम्नलिखित आदेश वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आयोग द्वारा जारी किए गए:

क. एमएसईआरसी मामला सं. 20/2021 : मेघालय विद्युत वितरण कार्पोरेशन लि. के लिए दूसरी बहुवर्ष टैरिफ नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2018–19 से वित्तीय वर्ष 2020–21 के वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वितरण कारोबार के ट्रूअप के मामले में

ख. एमएसईआरसी मामला सं. 22/2021 : मेघालय विद्युत वितरण कार्पोरेशन लि. के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वितरण कारोबार के ट्रूअप के मामले में

ग. एमएसईआरसी मामला सं. 23/2021 : मेघालय विद्युत पारेषण कार्पोरेशन लि. के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए पारेषण कारोबार के ट्रूअप के मामले मे

घ. एमएसईआरसी मामला सं. 24/2021 : मेघालय विद्युत पारेषण कार्पोरेशन लि. के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए पारेषण कारोबार के ट्रूअप के मामले मे

ङ एमएसईआरसी मामला सं. 25/2021 : मेघालय विद्युत उत्पादन कार्पोरेशन लि. के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए उत्पादन कारोबार के ट्रूअप के मामले मे

च. एमएसईआरसी मामला सं. 26/2021 : मेघालय विद्युत उत्पादन कार्पोरेशन लि. के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए उत्पादन कारोबार के ट्रूअप के मामले मे

छ. एमएसईआरसी मामला सं. 27/2021 : मेघालय विद्युत उत्पादन कार्पोरेशन लि. के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए एआरआर एवं उत्पादन टैरिफ

ज. एमएसईआरसी मामला सं. 28/2021 : मेघालय विद्युत पारेषण कार्पोरेशन लि. के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए एआरआर एवं पारेषण टैरिफ और निर्बाध पहुंच प्रभार

झ. एमएसईआरसी मामला सं. 29/2021 : मेघालय विद्युत वितरण कार्पोरेशन लि. के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए एआरआर एवं वितरण टैरिफ

17) नागालैंड विद्युत विनियामक आयोग

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान निम्नलिखित आदेश जारी किए:

क. विद्युत विभाग, नागालैंड सरकार के वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए टैरिफ प्रस्ताव एवं एआरआर तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 की वार्षिक कार्यनिष्पादन समीक्षा के लिए याचिका (अप्रैल 2022)

18) उड़ीसा विद्युत विनियामक आयोग

निम्नलिखित विनियम 2021–22 के दौरान अधिसूचित किए गए:

क. ओईआरसी (ऊर्जा नवीकरण स्रोतों की प्राप्ति और इसका अनुपालन) विनियम, 2021

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए:

क. उड़ीसा हाइड्रो पावर कार्पोरेशन के मामले में वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए एआरआर और टैरिफ आदेश

ख. उड़ीसा पावर जनरेशन कार्पोरेशन के मामले में वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए एआरआर और टैरिफ आदेश

ग. ओपीटीसीएल, एसएलडीसी, ग्रिडकोड, टीपीएनओडीएल, टीपीडब्ल्यूओडीएल, टीपीएसओडीएल एवं टीपीसीओडीएल के मामले में वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए एआरआर और टैरिफ आदेश

घ. टीपीडब्ल्यूओडीएल, टीपीएसओडीएल और टीपीसीओडीएल के मामले में वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ट्रूइंगअप कार्य

19) पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग

निम्नलिखित विनियमों को वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान अधिसूचित किया गया:

क. पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति कोड और संबद्ध मामले) (नवां संशोधन) विनियम, 2022 (पंजाब सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 20 जुलाई 2021)

ख. पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड इन्टरेक्टिव रूफटॉप सौर फोटो वॉलटिक सिस्टम) विनियम 2021 (पंजाब सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 18 अगस्त 2021)

ग. पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (फोरम एवं लोकपाल) (दूसरा संशोधन) विनियम 2021 (पंजाब सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 25 अगस्त 2021)

घ. पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (फीस) (चौथा संशोधन) विनियम 2021 (पंजाब सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 15 नवंबर 2021)

ङ पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति कोड और संबद्ध मामले) (दसवां संशोधन) विनियम, 2022 (पंजाब सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 02 फरवरी 2021)

च. पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन, पारेषण, विलिंग एवं थोक आपूर्ति टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) (पीएसईआरसी एमवाईटी विनियम 2019) (प्रथम संशोधन) विनियम 2019 (पंजाब सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 16 मार्च 2021)

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए:

क. 2020 के याचिका सं. 45 में वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए पीएसपीसीएल का टैरिफ आदेश (28.5.2021)

ख. 2020 के याचिका सं. 44 में वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए पीएसपीसीएल का टैरिफ आदेश (28.5.2021)

ग. 2021 के याचिका सं. 68 में वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए पीएसपीसीएल का टैरिफ आदेश (31.3.2022)

घ. 2021 के याचिका सं. 67 में वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए पीएसपीसीएल का टैरिफ आदेश (31.3.2022)

20) राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

निम्नलिखित विनियमों को वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान अधिसूचित किया गया:

क. राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड इनटरेक्टिव वितरित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली) विनियम, 2021 (8.4.2021)

ख. राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, विद्युत लोकपाल और उपभोक्ता एडवोकेसी) विनियम 2021

ग. राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा बाध्यता) (सातवां संशोधन) विनिमय 2021

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए:

क. पारेषण और एसएलडीसी (23.12.2021) (1875/2021) के वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक राजस्व अपेक्षा तथा टैरिफ एवं वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए ट्रूअप के अनुमोदन के मामले में

ख. बहुवर्ष कुल राजस्व अपेक्षा के अनुमोदन के मामले में, वित्तीय वर्ष 2020–21 से वित्तीय वर्ष 2023–24 (24.11.2021) (1841/20) वित्तीय वर्ष 2020–21 से वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. की निवेश योजना और टैरिफ याचिका (24.11.2021) (1841/20), (1842/20) और (1843/20)

ग. वित्तीय वर्ष 2021–22 राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. के लिए निवेश योजना के अनुमोदन के मामले में (22.11.2021) (1852/2020)

घ. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा की 62 और 66 के अधीन ऊर्जा संयंत्र में एमएसडब्ल्यू के परियोजना विनिर्दिष्ट टैरिफ के अवधारण के मामले में (21.10.2021) (1479/2019)

ङ. वित्तीय वर्ष 2019–20 (7.9.2021) (1844/2020), (1862/2020), (1847/2020) के लिए जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. के ट्रूअप के अनुमोदन के मामले में

21) सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग

निम्नलिखित विनियम वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान अधिसूचित किए गए:

क. एसएसईआरसी (ग्रिड इन्टरेक्टिव सौर पीवी प्रणाली) विनियम 2021 अधिसूचना सं. 13/एसएसईआरसी/जीआईडीएसईएस/2021

ख. एसएसईआरसी (राज्य सलाहकार समिति का गठन और इसके कार्य) (प्रथम संशोधन) विनियम 2021 अधिसूचना सं. 09/एसएसईआरसी/एसी/20143/20

ग. एसएसईआरसी (बहुवर्ष टैरिफ फ्रेमवर्क के अधीन उत्पादन, पारेषण, विलिंग और वितरण एवं खुदरा आपूर्ति के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम 2020 अधिसूचना सं. 14 एसएसईआरसी/एमवाईटी/एएमडीटी/2015/19

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान निम्नलिखित आदेश जारी किए:

क. विद्युत विभाग सिक्किम सरकार के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कुल राजस्व अपेक्षा और टैरिफ तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए पुनरीक्षण, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ट्रूअप

ख. विद्युत विभाग सिक्किम सरकार के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए टैरिफ और वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2023–24 के लिए कुल राजस्व अपेक्षा और वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए पुनरीक्षण, वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए अनंतिम ट्रूअप पर आदेश

22) त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग

निम्नलिखित विनियम वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान अधिसूचित किए गए:

क. त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग (राज्य आयोग की वार्षिक लेखा का फार्म और समय) विनियम, 2021
ख. त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता पूर्वप्रदत्त मीटरिंग) विनियम, 2021

23) तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग

निम्नलिखित विनियम वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान अधिसूचित किए गए:

क. तमिलनाडु विद्युत आपूर्ति कोड 2004
ख. टीएनईआरसी (टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम 2005
ग. टीएनईआरसी (टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम 2005
घ. टीएनईआरसी ग्रिड इनटरेक्शन सौर पीवी ऊर्जा उत्पादन प्रणाली विनियम 2021
ङ तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड संयोजकता और अंतःराज्यिक निर्बाध पहुंच) विनियम, 2014

24) तेलंगाना राज्य विद्युत विनियामक आयोग

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान निम्नलिखित विनियम जारी किए:

क. नवीकरणीय विद्युत क्रय बाध्यता (नवीकरणीय ऊर्जा/नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों की खरीद द्वारा अनुपालन) विनियम 2022
ख. टीएसईआरसी (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) प्रथम संशोधन, विनियम 2022
ग. टीएसईआरसी (पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) प्रथम संशोधन, विनियम 2022, 25.3. 2022
घ. टीएसईआरसी (उत्पादन टैरिफ की निबंधन व शर्तें) प्रथम संशोधन, विनियम 2022
ङ टीएसईआरसी (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा फीस व प्रभारों की उदग्रहण व संग्रहण) प्रथम संशोधन विनियम
च. टीएसईआरसी (विद्युत की खुदरा बिक्री और विलिंग के लिए टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) (द्वितीय संशोधन विनियम) 2022
छ. आयोग के मुद्दे (स्मार्ट ग्रिड) विनियम 2021 दिनांक 2.7.2021
ज. आयोग के मुद्दे (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम 2021
झ. 2015 के विनियम सं. 3 में द्वितीय संशोधन (उपभोक्ताओं के शिकायत के निवारण के लिए तंत्र की स्थापना)
ञ. आयोग के मुद्दे (निवल मीटरिंग रूफटॉप सौर पीवी ग्रिड इन्टरेक्टिव प्रणाली) प्रथम संशोधन विनियम 2021

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान निम्नलिखित आदेश जारी किए:

क. वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए खुदरा आपूर्ति टैरिफ और क्रॉस सब्सिडी अधिभार पर आदेश
ख. आयोग ने तेलंगाना राज्य विद्युत उत्पादन कार्पोरेशन लि. के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए चौथी नियंत्रण अवधि के लिए पूंजी निवेश योजना और एमवाईटी, कारोबार योजना का अनुमोदन, नए केन्द्रों की पूंजी लागत का अवधारण, वित्तीय वर्ष 2014–15 से वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए तीसरी नियंत्रण अवधि के लिए ट्रूअप के मामले में आदेश पारित किए
ग. आयोग वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए तेलंगाना लि. के पारेषण कार्पोरेशन के ट्रूअप/वार्षिक कार्यनिष्पादन पुनरीक्षण पर पुनरीक्षण याचिका के संबंध में 9.2.2022 के 2021 के आईए सं. 6 और 2021 की ओपी सं. 13 में 2021 की आईए(एसआर) सं.85 और 2021 की आरपी (एसआर) सं.67 में आदेश पारित किया

घ. आयोग ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए राज्य भार प्रेषण केन्द्र के वार्षिक कार्यनिष्पादन पुनरीक्षण/ट्रूअप पर पुनरीक्षण याचिका के संबंध में 9.2.2022 के 2021 के आईए सं. 5 और 2021 के ओपी सं. में 2021 की आईए (एसआर) सं. 85 तथा 2021 की आरपी (एसआर) सं. 66 में आदेश पारित किया।

ङ. चौथी नियंत्रण अवधि के लिए वितरण कारोबार के लिए विलिंग टैरिफ – संशोधन आदेश

25) उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

निम्नलिखित विनियम वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान अधिसूचित किए गए:

क. यूपीईआरसी (मेरिट ऑर्डर प्रेषण और विद्युत क्रय की अधिकता) विनियम 2021

ख. उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (वितरण एवं प्रेषण के लिए बहुवर्ष टैरिफ) विनियम 2019, दूसरा संशोधन) विनियम 2022

ग. वृद्धिशील लागत/ईंधन अधिभार की संगणना के संबंध में यूपीईआरसी (वितरण एवं पारेषण के लिए एमवाईटी) विनियम 2019 के विनियम 16 और यूपीईआरसी (वितरण के लिए एमवाईटी) विनियम 2014 के विनियम 20 का संशोधन

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए:

क. 2021 की याचिका सं. 1684 के लिए 26.8.2021 का आदेश – नोएडा पावर कं. लि. के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए राजस्व और एआरआर का ट्रूअप और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए टैरिफ और एआरआर का अनुमोदन

ख. याचिका सं. 1690/2021, 1689/2021, 1687/2021, 1688/2021 और 1691/2021 के लिए 29.7.2021 का टैरिफ आदेश – वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए टैरिफ का ट्रूइंगअप, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए एपीआर और एआरआर का अनुमोदन तथा डीवीवीएनएल, एमवीवीएनएल, पीवीवीएनएल, पीयूवएनएल, कैसको के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए टैरिफ

ग. 2020 का याचिका सं. 1656 के लिए 29.6.2021 का आदेश – वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए ट्रूअप याचिका, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए एपीआर और यूपीपीटीसीएल के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एआरआर टैरिफ याचिका

26) उत्तराखण्ड विद्युत विनियामक आयोग

निम्नलिखित विनियम वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान अधिसूचित किए गए:

क. उत्तराखण्ड विद्युत विनियामक आयोग (बहुवर्ष टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम, 2021, संक्षेप में यूईआरसी टैरिफ विनियम 2021

ख. उत्तराखण्ड विद्युत विनियामक आयोग (सदस्यों की नियुक्ति के लिए तथा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए फोरम द्वारा अपनाई जाने वाली क्रियाविधि के लिए मार्गनिर्देश) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021

ग. उत्तराखण्ड विद्युत विनियामक आयोग (लोकपाल की नियुक्ति और कार्यप्रणाली) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2021

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए:

क. वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए एपीआर, वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए ट्रूअप पर आदेश तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए यूपीसीएल के लिए एआरआर

ख. उत्तराखण्ड पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लि. के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एआरआर और वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए एपीआर, वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए ट्रूअप पर आदेश

ग. वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए ट्रूअप, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए एपीआर तथा यूजेवीएन लि. के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक नियत प्रभार

घ. उत्तराखण्ड राज्य भार प्रेषण केन्द्र के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए संशोधित एआरआर और वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए एपीआर पर आदेश

27) पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग

निम्नलिखित विनियम वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान अधिसूचित किए गए:

क. पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम, 2021 (26.11.2021)

ख. पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (संतुलन एवं व्यवस्थापन कोड) विनियम, 2021 (26.11.2021)

ग. पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021 (5.10.2021)

घ. पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (नए कनेक्शन प्रदान करने के लिए व्यय की वसूली) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 (15.09.2021)

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए:

क. डीवीसी टीपी – 71/1617 वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए पश्चिम बंगाल राज्य के क्षेत्र के अंदर आने वाले दामोदर घाटी क्षेत्र के भाग के लिए विद्युत की खुदरा आपूर्ति और वितरण के लिए टैरिफ के अवधारण के लिए दामोदर घाटी कार्पोरेशन द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में

ख. डब्ल्यूबीएसईटीसीएल एपीआर 57/16–17 – 28 अप्रैल, 2022 वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए वार्षिक कार्यनिष्पादन पुनरीक्षण के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत पारेषण कं. लि. के आवेदन के संबंध में

ग. डब्ल्यूबीएसईटीसीएल एपीआर 69/18–19 – 28 अप्रैल, 2022/2017–18 वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए वार्षिक कार्यनिष्पादन पुनरीक्षण के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत पारेषण कं. लि. के आवेदन के संबंध में

घ. डब्ल्यूबीएसईटीसीएल एपीआर 66/17–18 – 28 अप्रैल, 2022/2016–17 वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए वार्षिक कार्यनिष्पादन पुनरीक्षण के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत पारेषण कं. लि. के आवेदन के संबंध में

ङ. डब्ल्यूबीएसईडीसीएल टीपी–89/20–21 सोमवार, 28 मार्च, 2022 विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62(1) और धारा 62(3) के साथ पठित धारा 64(3)(क) के अधीन वर्ष 2020–21, 2021–22 और 2022–23 के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कं. लि. के टैरिफ आवेदन के संबंध में

च. डब्ल्यूपीडीसीएल टीपी–95/20–21 शुक्रवार, 8 अक्तूबर, 2021 पश्चिम बंगाल विद्युत विकास कार्पोरेशन लि. के वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2022–23 को शामिल करते हुए सातवीं नियंत्रण अवधि के लिए प्रभारों से अनुमानित राजस्व और टैरिफ के अवधारण के संबंध में

छ. डब्ल्यूबीएसईडीसीएल एपीआर(आर)–7/18–19, 07 अक्तूबर 2021, वीरवार पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 2013 के विनियमों 3.10, 3.11 और 3.12 के साथ पठित विनियम 3.3 के अनुसार सं. एपीआर–35/12–13 के मामले में वर्ष 2011–2012 के लिए 09.09.2013 के वार्षिक कार्यनिष्पादन पुनरीक्षण आदेश के पुनरीक्षण के लिए पश्चिम बंगाल राज्य वितरण कं. लि. द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका के संबंध में

ज. डब्ल्यूबीएसईडीसीएल टीपी–84 / 19–20, 25 अगस्त 2021, बुधवार, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62(1) और 62(3) के साथ पठित धारा 64(3)(क) के अधीन वित्तीय वर्ष 2018–19 और 2019–20 के लिए पश्चिम बंगाल राज्य वितरण कं. लि. के टैरिफ आवेदन के संबंध में

झ. डीवीसी एपीआर–81 / 20–21, 19 जुलाई 2021, सोमवार, पश्चिम बंगाल राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दामोदर वैली के भाग के लिए दामोदर वैली कार्पोरेशन द्वारा विद्युत के वितरण और खुदरा आपूर्ति के संबंध में वर्ष 2006–07 से 2008–09 के लिए ट्रूइंगअप / वार्षिक कार्यनिष्पादन पुनरीक्षण के लिए आवेदन के संबंध में

ञ. डब्ल्यूबीपीडीसीएल टीपी–85 / 19–20, 14 जुलाई, 2021 बुधवार पश्चिम बंगाल विद्युत विकास कार्पोरेशन लि. के वित्तीय वर्ष 2018–19 और 2019–20 को शामिल करते हुए छठीं नियंत्रण अवधि के लिए प्रभारों से अनुमानित राजस्व और एआरआर, टैरिफ के अवधारण के संबंध में

ट. आईपीसीएल टीपी–78 / 18–19, 9 जुलाई, 2021 शुक्रवार, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62(1) धारा 62(3) के साथ पठित धारा 64(3)(क) के अधीन छठी नियंत्रण अवधि को कवरिंग करते हुए वित्तीय वर्ष 2018–19 और 2019–20 के लिए इण्डिया पावर कार्पोरेशन लि. के टैरिफ आवेदन के संबंध में

ठ. डब्ल्यूबीएसईटीसीएल एपीआर–51 / 15–16, 28 जून 2021 सोमवार, वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए एपीआर के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत पारेषण कं. लि. के आवेदन के संबंध में

ड. डब्ल्यूबीएसईटीसीएल टीपी–90 / 20–21, 25 जून 2021, शुक्रवार, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62(1) के साथ पठित धारा 64(3) (क) के अधीन वित्तीय वर्ष 2020–21, वित्तीय वर्ष 2021–22 और वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए डब्ल्यूबीएसईटीसीएल की सातवीं नियंत्रण अवधि के अधीन बहुवर्ष टैरिफ आवेदन के संबंध में

ढ. डीवीसी एपीआर–53 / 15–16, 31 मई, 2021 सोमवार, वित्तीय वर्ष 2009–2010 से 2013–14 तक के लिए वार्षिक कार्यनिष्पादन पुनरीक्षण के लिए डीवीसी के आवेदन के संबंध में,

ण. डीवीसी टीपी–71 / 16–17, 20 मई, 2021, वीरवार, वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए पश्चिम बंगाल राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दामोदर वैली के भाग के लिए विद्युत के वितरण और खुदरा आपूर्ति के लिए टैरिफ के अवधारण के लिए 29.12.2016 को डीवीसी द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन के प्रत्युत्तर में।

त. आईपीसीएल टीपी–74 / 16–17, 28 जनवरी 2021, वीरवार, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62(1) धारा 62(3) के साथ पठित धारा 64(3)(क) के अधीन पांचवीं नियंत्रण अवधि को कवरिंग करते हुए वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए इण्डिया पावर कार्पोरेशन लि. के टैरिफ आवेदन के संबंध में

4 राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर स्थिति रिपोर्ट

राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति में विद्युत के विक्रेता और व्यापारी के विरुद्ध उपभोक्ता के अधिकार का संरक्षण और संपूर्ण रूप से क्षेत्र के सतत विकास के लिए सभी को सामयिक व विश्वसनीय विद्युत उपलबध करवाने पर बल दिया गया है। एफओआर की सभी गतिविधियां इन मूलभूत सिद्धांतों के आसपास हैं। यह 'उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण और विद्युत क्षेत्र में कार्यकुशलता, किफायत और प्रतिस्पर्धा के लिए उपाय विकसित करना' के लिए एफओआर का परिभाषित लक्ष्यों में एक है।

उक्त निर्दिष्ट उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए वित्तीय 2021–22 के दौरान फोरम द्वारा की गई गतिविधियां विस्तार से नीचे दी गई हैं:

क. 9 अप्रैल 2021 को आयोजित एफओआर की 74वीं बैठक के दौरान सदस्यों ने सौर तथा गैर–सौर आरपीओ के अनुपालन के लिए मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देश पर अध्यक्ष केईआरसी द्वारा किए गए संदर्भ पर विचार विमर्श किया। फोरम ने नोट किया कि मंत्रालय से इस प्रकार के निर्देश एसईआरसी के क्षेत्राधिकार का अधिक्रमण है और यह पाया कि एसईआरसी अपनी सांविधिक शक्तियों के अनुसार विद्युत मंत्रालय/एमएनआरई के पत्रों पर कार्य कर सकता है।

ख. आरपीओ (सौर आरपीओ और एचपीओ) के दीर्घकालिक ट्रेजेक्टरी के संदर्भ पर चर्चा करते हुए, अध्यक्ष डब्ल्यूबीईआरसी द्वारा किए गए संदर्भ में फोरम ने आरपीओ के विचार से सहमति जताई कि अलग सौर आरपीओ सौर पावर की कीमतों में कमी के कारण मौजूदा स्थिति में संगत नहीं है। इसके अलावा डिस्कॉम को प्राइवेट करने के लिए भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अधीन वित्तीय सहायता के विस्तार पर चर्चा करते हुए महसूस किया कि सभी योजनाएं अंतिम उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए उनके हित के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए।

ग. फोरम ने निर्बाध पहुंच के माध्यम से राज्य के अंदर/बाहर स्थित कैप्टिव उत्पादकों से डिस्कॉम द्वारा विद्युत के आयात के विषय पर विचार विमर्श किया। इस विषय के लिए संदर्भ अध्यक्ष डब्ल्यूबीईआरसी द्वारा किया गया। फोरम में आयोजित विचार विमर्श के आधार पर कैप्टिव विद्युत संयंत्र को नियंत्रित करने और प्रचालन पर मॉडल विनियम के विकास के लिए एफओआर के सदस्यों के कार्यबल के गठन का निर्णय लिया गया।

घ. 30 अप्रैल 2021 को आयोजित एफओआर की 75वीं बैठक के दौरान फोरम ने ''खुदरा टैरिफ को प्रभावित करने वाले घटक'' पर कार्यबल की विस्तृत रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया। फोरम ने रेलवे के लिए विनियामक, आरओई की तर्कसंगतता और वितरण क्षेत्र इत्यादि के लिए मूल्यह्रास दर की तत्काल आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। कार्यबल की रिपोर्ट की फोरम द्वारा प्रशंसा की गई और अनुमोदित की गई।

ङ. 01 अक्तूबर 2021 को आयोजित एफओआर की 76वीं बैठक के दौरान फोरम ने स्मार्ट पूर्वदत्त मीटर, ईवी एण्ड स्टोरेज से संबंधित विषयों पर अध्यक्ष डब्ल्यूबीईआरसी द्वारा किए गए संदर्भ पर विचार विमर्श किया। फोरम ने ईवी और इसके ग्रिड पर तदनतर प्रभाव और उपभोक्ता टैरिफ जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया और पृष्ठांकित किया कि ईवी के लिए उपयुक्त टैरिफ संरचना पर ध्यान केन्द्रित करते हुए ईवी के विषयों की पुनः जांच के लिए यह वांछनीय होगा। ऊर्जा स्टोरेज के मामले में इस बात पर बल दिया गया कि नवीकरणीय में स्टोरेज के मूल्यांकन की तत्काल आवश्यकता है चूंकि स्टोरेज में ग्रिड की अपेक्षा के प्रोत्साहन की संभावना है। इस विषय के लिए फोरम ने एक कार्यबल घटित किया और बताया कि डब्ल्यूजी यथाशीघ्र फोरम को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

च. आरपीओ से आगे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्ति के लिए जारी किए गए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों के स्वतः रोकने के माध्यम से वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आरपीओ की आफसेटिंग पर एचपीईआरसी के अध्यक्ष के संदर्भ में फोरम ने नोट किया किया कि फ्लोर तथा स्थगन कीमत के अवधारण पर 17.6.2020 के केविविआ के आदेश 05/एमएम/2020 के लिए अपील एपीटीईएल में लंबित है। इस प्रकार मुद्दे पर अन्य मामलों सहित केविविआ द्वारा तब विचार किया जाएगा, जब कभी आरईसी फ्रेमवर्क का आयोग द्वारा पुनरीक्षण किया जाता है।

छ. फोरम ने एसईआरसी के लिए मॉडल टैरिफ विनियमों के मामले पर विचार विमर्श किया जिसका संदर्भ विद्युत मंत्रालय से प्राप्त किया गया। फोरम ने विचार विमर्श के बाद विद्युत क्षेत्र में उभरते विषयों तथा विद्युत मंत्रालय से संदर्भ प्राप्त होने के बाद मॉडल टैरिफ विनियमों को तैयार करने के लिए सचिवालय को निदेश दिया और विचार विमर्श के लिए फोरम को उसे प्रस्तुत करने का निदेश दिया। ड्राफ्ट मॉडल टैरिफ विनियमों को फोरम की 78वीं बैठक के दौरान फोरम को प्रस्तुत किया गया।

ज. 17 दिसंबर, 2021 को आयोजित 77वीं बैठक के दौरान फोरम ने 06 अक्तूबर, 2021 के भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश सं. सीए नं. – 590–5290–5291/201 पर विचार विमर्श किया। फोरम ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रशंसा की कि ओटीसी या पावर एक्सचेंज के माध्यम से भौतिक डिलीवरी आधारित कांट्रेक्ट (किसी भी अवधि का) को केविविआ द्वारा विनियमित किया जाएगा और विद्युत में वित्तीय डेरिवेटिव को सेबी द्वारा विनियमित किया जाएगा और विद्युत कांट्रेक्टों की वित्तीय एवं भौतिक व्यापार के समन्वित विकास के लिए केविविआ और सेबी के बीच गठित संयुक्त कार्यबल का ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। विद्युत उपभोक्ताओं के निर्णय के दीर्घकालिक प्रभाव को समझते हुए एसईआरसी के कर्मियों के लाभ के लिए विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं और विशेषज्ञों की सहायता से क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए फोरम द्वारा निर्णय लिया गया।

झ. इसके अलावा फोरम ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित विद्युत की कमी के विषय पर निदेशों के संबंध में दिनांक 02.08.2021 के ऐपटेल के आदेश पर विचार विमर्श किया। फोरम ने नवीकरणीय ऊर्जा की कमी के संबंध में मार्ग निदेश तैयार करने के लिए कार्यदल का गठन किया।

ञ. फोरम ने केविविआ के ड्राफ्ट (अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) विनियम, 2021 पर विचार विमर्श किया। फोरम के सदस्यों को संयोजकता के आवंटन के लाभ तथा विनियमों की आवश्यकता के बारे में सूचित किया गया।

राष्ट्रीय टैरिफ नीति और राष्ट्रीय विद्युत नीति में रेखांकित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर फोरम सदस्य ईआरसी की उपलब्धियां इस रिपोर्ट में निम्नानुसार दी गई हैं:

क) वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की टैरिफ अनुसूची (अनुबंध-I)

ख) वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य विद्युत विनियामक आयोग के आदेशों की समयबद्धता (अनुबंध-II)

ग) 31 मार्च, 2022 के अनुसार ऐपटेल को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर – वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान सीजीआरएफ और ओमबडसमैन के कार्य (अनुबंध - III)

5 केविविआ/एसईआरसी और जेईआरसी के अध्यक्षों की सूची

विनियामक फोरम के सदस्य (31 मार्च, 2022 की स्थिति)

विनियामक फोरम के अध्यक्ष		
01.	श्री पी.के. पुजारी	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ)
विनियामक फोरम के सदस्य		
02.	न्यायाधीश (श्री) सी.वी. नागार्जुन रेड्डी	आंध्रा प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग
03.	रिक्त	अरूणाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग
04.	श्री कुमार संजय कृष्णा	असम विद्युत विनियामक आयोग
05.	श्री शिशिर सिन्हा	बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग
06.	श्री हेमन्त वर्मा	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग
07.	न्यायाधीश (श्री) शबीहुल हुसैन 'शास्त्री'	दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग
08.	श्री अनिल मुकीम	गुजरात विद्युत विनियामक आयोग
09.	श्री आर.के. पचनंदा	हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग
10.	श्री डी.के. शर्मा	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग
11.	रिक्त	झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग
12.	रिक्त	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा एवं संघशासित राज्य के लिए जेईआरसी)
13.	श्री लोकेश दत्त झा	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख संघशासित राज्य के लिए जेईआरसी)
14.	श्री रेंगधननवेला थंगा	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, मणिपुर एवं मिजोरम (मणिपुर एवं मीजोरम के लिए जेईआरसी)
15.	श्री एच.एम. मंजुनाथ, एक्टिंग चेयरपर्सन	कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग
16.	श्री प्रेमन दीनाराज	केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग
17.	श्री एस.पी.एस. परिहार	मध्यप्रदेश विद्युत विनियामक आयोग
18.	श्री संजय कुमार	महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग
19.	श्री पी.डब्ल्यू. इंगती	मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग
20.	श्री खोसे सले	नागालैंड विद्युत विनियामक आयोग
21.	श्री गजेन्द्र महापात्र, इन्चार्ज अध्यक्ष	ओडीशा विद्युत विनियामक आयोग
22.	श्री विश्वाजीत खन्ना	पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग
23.	श्री बी.एन. शर्मा	राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

24.	श्री के.बी. कुंवर	सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग
25.	श्री एम. चन्द्रशेखर	तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग
26.	श्री. टी श्रीरंगा राव	तेलंगाना विद्युत विनियामक आयोग
27.	श्री डी. राधाकृष्णा	त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग
28.	श्री राजप्रताप सिंह	उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग
29.	श्री डी.पी. गजरोला, अध्यक्ष प्रभारी	उत्तराखण्ड विद्युत विनियामक आयोग
30.	श्री सुतिर्था भट्टाचार्य	पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग

6 एफओआर का वार्षिक लेखा

सेवा में,

सचिव
विनियामक फोरम,
सचिवालयः मार्फत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
तृतीय व चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ,
नई दिल्ली – 110 001

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार विनियामक फोरम की संलग्न तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियां और भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की है। यह वित्तीय विवरण प्राथमिक रूप से विनियामक फोरम का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणियों पर राय व्यक्त करना है।

हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा है कि उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम लेखापरीक्षा की योजना बनाते हैं और कार्यनिष्पादन करते हैं कि वित्तीय विवरणी गलत विवरणों से मुक्त है। लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में रकम एवं प्रकटन का समर्थन करने वाले परीक्षण आधार साक्ष्यों की जांच शामिल है। इसमें समूची वित्तीय विवरणी प्रस्तुति का मूल्यांकन करते हुए शामिल किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक सेवाओं (क्षमता निर्माण एवं परामर्श सेवाओं के लिए) के लिए वर्ष के दौरान विनियामक फोरम द्वारा विद्युत मंत्रालय से प्राप्त रु. शून्य की वित्तीय सहायता की राशि में से रु. शून्य की शेष अव्ययित निधियां, वित्तीय वर्ष 2022–23 में आगे ले जाई गई हैं।

हमारी राय में और हमारी सूचना के अनुसार और हमारे द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार वित्तीय विवरणियों में भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखागत सिद्धांतों के अनुसार इस उचित एवं सही रूप में दिया गया है:

क) 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार फोरम के कार्यों के तुलन पत्र के मामलें में और

ख) आय एवं व्यय लेखा के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष।

कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 017195एन

ह०/–
(अनिल कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं.: 094111
स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 06 जून, 2022
यूडीआईएनः 22094111AKVEAR8783

विनियामक फोरम
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशि - रु. में)

कोरपस/पूंजीगत निधि एवं देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
कोरपस/पूंजी निधि	1	**37,010,643**	37,010,643
रिज़र्व एवं अधिशेष	2	**58,083,775**	52,497,124
निश्चित की गई/ बंदोबस्त निधियां	3	**-**	-
चालू देयताएं एवं प्रावधान	4	**10,621,107**	8,629,063
कुल		**105,715,525**	98,136,830
आस्तियां			
नियत आस्तियां	5	**152,583**	67,680
चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	6	**105,562,942**	98,069,150
कुल		**105,715,525**	98,136,830
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	12		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखों पर नोट	13		

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 017195एन

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
अनिल कपूर	आंतरिक वित्तीय सलाहकार	सचिव
(साझेदार)		
एम.सं.094111		

स्थान : नई दिल्ली
तिथिः 13 जून, 2022
यूडीआईएन सं.: 22094111AKVEAR8783

विनियामक फोरम
31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता

(राशि - रु. में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
फीस/अंशदान	7	**12,000,000**	12,000,000
विद्युत मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	3	**489,022**	-
अर्जित ब्याज	8	**3,798,520**	4,618,933
अन्य आय	9	**57,000**	-
कुल (क)		**16,344,542**	16,618,933
व्यय			
स्थापना व्यय	10	**-**	-
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	11	**9,370,782**	8,580,587
उपयोग किए गए अनुदान (विद्युत मंत्रालय) :	3		
(क) क्षमता निर्माण		**489,022**	-
(ख) परामर्शदाता सेवाएं		**-**	-
मूल्यह्रास (अनुसूची 5 के अनुरूप वर्ष के अंत में निवल कुल)		**47,989**	16,374
पूर्व अवधि व्यय		**-**	-
कुल (ख)		**9,907,793**	8,596,961
आय के व्यय से आधिक्य होने पर शेष (क-ख)		**6,436,749**	8,021,972
कर के लिए प्रावधान (चालू वर्ष)		**1,994,593**	2,538,641
कर के लिए प्रावधान (पूर्ववर्ती वर्ष)		**-**	-
सामान्य रिज़र्व को/से अंतरण		**4,442,156**	5,483,331
अधिशेष/(घाटा) का शेष कोरपस/पूंजी निधि में ले जाया गया		-	-
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	12		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखों पर नोट	13		

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 017195एन

हस्ता/-
अनिल कपूर
(साझेदार)
एम.सं.094111

हस्ता/-
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/-
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथिः 13 जून, 2022
यूडीआईएन सं.: 22094111AKVEAR8783

विनियामक फोरम
31 मार्च, 2022 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रु. में)

अनुसूची 1 - कोरपस/पूंजीगत निधि		चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष
वर्ष के आरंभ में शेष		**37,010,643**		37,010,643
जोड़: कोरपस/पूंजीगत निधि के लिए अंशदान	-		-	
जोड़/(घटा):आय एवं व्यय खाते से अंतरित निवल आय/(व्यय) का शेष	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष		**37,010,643**		37,010,643

अनुसूची 2 -रिजर्व एवं अधिशेष:		चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष
1. रिज़र्व पूंजी:				
अंतिम खाते के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
2. पूनर्मूल्यन रिज़र्व:				
अंतिम खाते के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
3. विशेष रिज़र्व				
अंतिम खाते के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
4. सामान्य रिज़र्व				
अंतिम खाते के अनुसार	**52,497,125**		47,394,323	
तारीख: जून 2022	**4,442,156**		5,483,331	
जोड़/घटा: वर्ष के दौरान कटौती	**1,144,494**	**58,083,775**	380,530	52,497,124
(अर्थात् नि.व. 16-17 = रु.16,27,500/- & नि.व. 12-13 = रु. 4,83,006/-)				
कुल		**58,083,775**		50,854,901

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 017195Nएन

हस्ता/-
अनिल कपूर
(साझेदार)
एम.सं. 094111

हस्ता/-
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/-
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 13 जून, 2022
यूडीआईएन सं.: 22094111AKVEAR8783

विनियामक फोरम
31 मार्च, 2022 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रु. में)

	निधि-वार ब्रेक-अप		
अनुसूची 3 - निश्चित की गई/बंदोबस्त निधियां	**योजना निधि**		**पूर्ववर्ती वर्ष**
क) निधियों का आरंभिक शेष		-	**1,199,945**
ख) निधियां में परिवर्धनः			
i. दान/अनुदान	**1,200,000**		
ii. निधियों से किए गए निवेशों से ब्याज	**11,817**	**1,211,817**	22,557
iii. राज्य ऐजेंसियों से प्राप्त रिफंड			
कुल (क+ख)		**1,211,817**	1,222,502
ग) निधियों के प्रयोजन से इनका उपयोग / व्यय			
i. पूंजीगत व्यय			
- नियत आस्तियां	-		
- अन्य	-	-	-
कुल (i)		-	-
ii. राजस्व व्यय			
- वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि।	-		
- किराया	-		
- अन्य प्रशासनिक खर्चे	**489,022**	**489,022**	-
iii. वापस की गई अव्ययित वित्तीय सहायता (ब्याज सहित)		**722,795**	1,222,502
कुल (ii + iii)		**1,211,817**	1,222,502
कुल (ग) = (i + ii + iii)		**1,211,817**	1,222,502
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख-ग)		-	-

नोट

1} अनुदानों से जुड़ी शर्तों के आधार पर संगत शीर्षों के अंतर्गत प्रकटीकरण किया जाएगा।

2} केन्द्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियों को पृथक निधियों के रूप में दर्शाया जाएगा और किन्हीं अन्य निधियों के साथ मिलाया नहीं

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 017195NएN

हस्ता/-
अनिल कपूर
(साझेदार)
एम.सं. 094111

हस्ता/-
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/-
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथिः 13 जून, 2022
यूडीआईएन सं.: 22094111AKVEAR8783

विनियामक फोरम

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रु. में)

	चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष	
अनुसूची 4 - चालू देयताएं और प्रावधान				
क - चालू देयताएं				
1. स्वीकृतियां		-		-
2. विविध ऋणदाता :				
क) माल के लिए	-		-	
ख) अन्य	-	-	-	-
3. प्राप्त अग्रिम		-		-
4. उपचित परंतु देय नहीं ब्याज:				
क) जमानती ऋण/उधार	-		-	
ख) गैर-जमानती ऋण/उधार	-	-	-	-
5. सांविधिक देयताएं :				
क) अतिदेय	-		-	
ख) अन्य	-	-	-	-
6. अन्य चालू देयताएं		-		-
कुल (क)		-		-
ख - प्रावधान				
1. कराधान के लिए				
(i) पूर्ववर्ती वर्ष	**5,617,668**		4,706,527	
(ii) चालू वर्ष	**1,994,593**		2,538,641	
		7,612,261		7,245,168
2. ग्रेच्अटी		-		-
3. सेवानिवृत्ति/पेंशन		-		-
4. संचयित अवकाश नकदीकरण		-		-
5. व्यापार वारंटियां/दावे		-		-
6. अन्य:				
(ii) प्रतिदेय लेखापरीक्षआ फीस	**25,000**		25,000	
(iii) प्रतिदेय श्रम (आउटसोर्सिंग) व्यय	**281,256**		405,113	
(iii) प्रतिदेय बैठक व्यय	**2,020,830**		-	
(iv) प्रतिदेय कार्यालय व्यय	**774**		774	
(vi) प्रतिदेय व्यावसायिक प्रभार (एफओआर की निधि) व्यय	**25,800**		28,324	
(vii) प्रतिदेय व्यावसायिक फीस (स्टाफ परामर्शदाता) व्यय	**-**		86,487	
(viii) प्रतिदेय अध्ययन एवं परामर्श (एफओआर की निधि)	**445,500**		-	
(x) प्रतिदेय प्रशिक्षण व्यय (फोरम की निधि)	**-**		449,180	
(xii) संविदा पर प्रतिदेय टीडीएस	**11,390**		6,927	
(xiii) व्यावसायिक फीस पर प्रतिदेय टीडीएस	**168,400**		282,951	
(xiii) विज्ञापन पर प्रतिदेय टीडीएस	**906**		-	
(xiv) सीजीएसटी+एसजीएसटी+आईजीएसटी पर प्रतिदेय टीडीएस	**28,990**		68,529	
(xv) प्रतिदेय टेलिफोन व्यय	**-**		-	
(xvi) प्रतिदेय वेबसाइट व्यय	**-**	**3,008,846**	30,610	1,383,895
कुल (ख)		**10,621,107**		8,629,063
कुल (क) + (ख)		**10,621,107**		8,629,063

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 017195NएN

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
अनिल कपूर	**आंतरिक वित्तीय सलाहकार**	**सचिव**
(साझेदार)		
एम.सं. 094111		

स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 13 जून, 2022
यूडीआईएन सं.: 22094111AKVEAR8783

विनियामक फोरम

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रु. में)

अनुसूची 5 - अचल आस्तियां

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास					निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के आरंभ में आस्तियों पर वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियों पर	वर्ष के दौरान कटौतियों पर	वर्ष के अंत तक कुल	चालू वर्ष के अंत में	पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में
क. अचल आस्तियां											
1. भूमि:											
क) पूर्ण स्वामित्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पट्टे पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. भवन:											
क) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पट्टे वाली भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) इकाई से संबंध न रखने वाली भूमि पर सुपरस्ट्रक्चर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. संयंत्र और मशीनरी और उपस्कर	**52,023**	**-**	**-**	**52,023**	**35,899**	**2,419**	**-**	**-**	**38,318**	**13,705**	16,124
4. वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. फर्नीचर, फिक्सचर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. कार्यालय उपस्कर	**25,840**	**-**	**-**	**25,840**	**19,313**	**980**	**-**	**-**	**20,293**	**5,547**	6,527
7. कंप्यूटर/सहायक उपकरण	**736,749**	**132,892**	**-**	**869,641**	**691,720**	**44,590**	**-**	**-**	**736,310**	**133,331**	45,029
8. विद्युत अधिष्ठापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. लाईब्रेरी की पुस्तकें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. ट्यूबवेल एवं जल आपूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. अन्य नियत आस्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
चालू वर्ष का कुल	**814,612**	**132,892**	**-**	**947,504**	**746,932**	**47,989**	**-**	**-**	**794,921**	**152,583**	67,680
पूर्ववर्ती वर्ष	761,646	52,966	-	814,612	730,558	16,374	-	-	746,932	67,680	
ख. पूंजीगत अर्धनिर्मित उत्पादन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
कुल	**814,612**	**132,892**	**-**	**947,504**	**746,932**	**47,989**	**-**	**-**	**794,921**	**152,583**	

उपर्युक्त सहित अवक्रय आधार पर आस्तियों की लागत के लिए नोट दिया जाए।

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

हस्ता/-
अनिल कपूर
(साझेदार)
एम.सं. 094111

हस्ता/-
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/-
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 13 जून, 2022
यूडीआईएन सं.: 22094111AKVEAR8783

विनियामक फोरम
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रु. में)

अनुसूची -6- चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष	
क - चालू आस्तियां				
1. माल सूची :				
क) स्टोर और स्पेयर्स	-		-	
ख) खुले औजार	-		-	
ग) बिक्री के लिए माल				
तैयार माल	-		-	
अर्धनिर्मित उत्पादन	-		-	
कच्चा माल	-	-	-	-
2. विविध देनदार:				
क) 6 माह की अवधि से अधिक का बकाया कर्ज	-		-	
घटाए: वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए	-		-	
ख) अन्य	-	-	-	-
3. हाथ में नकदी शेष (चैक/ड्राफ्ट/अग्रदाय सहित)		**24**		24
4. बैंक शेष :				
क) अनुसूचित बैंकों के साथ :				
- चालू खातों पर	-		-	
- जमा खातों पर (मार्जिन राशि सहित)				
(i) नियत जमा	**37,010,644**		37,010,644	
(ii) ऑटो स्वीप/फ्लैक्सी जमा	**57,715,000**		49,790,000	
- बचत खातों पर				
(i) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (एसबी खाता सं. 000068)	**54,504**		56,263	
(ii) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (एसबी खाता सं. 1708 - एमओपी)	**0**		0	
		94,780,148		86,856,907
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ :				
चालू खातों पर	-		-	
जमा खातों पर	-		-	
बचत खातों पर	-	-	-	-
5. डाकघर बचत खाते		-		-
कुल (क)		**94,780,172**		86,856,931

जारी...2...

विनियामक फोरम

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रु. में)

अनुसूची -6- चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि (जारी.....)	चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष	
ख - ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां				
1. ऋण :				
क) स्टाफ	-		-	
ख) इकाई की तरह समान गतिविधियों/उद्देश्यों में लगी हुई अन्य इकाइयां	-		-	
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
2. नकद में या वस्तु के रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियाँ :				
क) पूंजीगत लेखा पर	-		-	
ख) पूर्व भुगतान	-		-	
ग) अन्य				
(i) प्रतिभूति जमा (एमटीएनएल)				
पूर्ववर्ती वर्ष	-		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए	-		-	
(ii) स्रोत पर काटा गया कर (टीडीएस):				
पूर्ववर्ती वर्ष	**872,345**		1,016,887	
चालू वर्ष	**379,670**		338,464	
(iii) आत्म मूल्यांकन करः				
पूर्ववर्ती वर्ष	**473,000**		473,000	
(iv) प्राप्य सदस्यता शुल्क	**800,000**		3,200,000	
(v) जीएसटी (इनपुट) :				
चालू वर्ष	**337,600**		746,555	
जोड़: अग्रिम करः				
पूर्ववर्ती वर्ष	**4,734,904**		2,170,600	
चालू वर्ष	**2,961,251**		2,564,304	
जोड़: प्राप्य जीएसटी (आउटपुट):				
चालू वर्ष	**144,000**		576,000	
जोड़ः प्राप्य आईजीएसटी पर टीडीएसः				
पूर्ववर्ती वर्ष	**8,000**		48,000	
चालू वर्ष	**72,000**	**10,782,770**		11,133,810
3. प्रोद्भूत आय:				
क) उद्दीष्ट/बंदोबस्त निधियों से निवेश पर	-		-	
ख) निवेशों पर - अन्य	-		78,409	
ग) ऋणों एवं अग्रिमों पर	-		-	
घ) अन्य (रु. ..... की अप्राप्त देय आय सम्मिलित है)	-	-	-	78,409
4. प्राप्तियोग्य दावे		-		-
कुल (ख)		**10,782,770**		11,212,219
कुल (क+ख)		**105,562,942**		98,069,150

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 017195Nएन

हस्ता/-
अनिल कपूर
एम.सं. 094111

हस्ता/-
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/-
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथिः 13 जून, 2022
यूडीआईएन सं.: 22094111AKVEAR8783

विनियामक फोरम

31 मार्च, 2022 को अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रु. में)

अनुसूची -7- फीस/अभिदान	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1) प्रवेश शुल्क	-	-
2) वार्षिक शुल्क/अभिदान	**12,000,000**	12,000,000
3) संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क	-	-
4) परामर्शकारी शुल्क	-	-
5) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
i) आरटीआई शुल्क	-	-
कुल	**12,000,000**	12,000,000
नोट : प्रत्येक मद के लिए लेखांकन नीतियां दिखाई जाएं		

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 017195Nएन

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
अनिल कपूर	**आंतरिक वित्तीय सलाहकार**	**सचिव**
(साझेदार)		
एम.सं. 094111		

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 13 जून, 2022
यूडीआईएन सं.: 22094111AKVEAR8783

विनियामक फोरम

31 मार्च, 2022 को अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचिया

(राशि - रु. में)

अनुसूची -8- अर्जित ब्याज		चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1. सावधि जमा पर :			
क) अनुसूचित बैंकों में	टीडीएस - रु.3,79,670/-)	**3,796,702**	4,618,364
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में		-	-
ग) संस्थानों में		-	-
घ) अन्य		-	-
2. बचत खातों पर :			
क) अनुसूचित बैंकों में		**1,818**	569
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में		-	-
ग) डाकघर बचत खाते		-	-
घ) अन्य		-	-
3. ऋणों पर :			
क) कर्मचारी/स्टाफ		-	-
ख) अन्य		-	-
4. देनदारों और अन्य प्राप्य राशियों पर ब्याज		-	-
कुल		**3,798,520**	4,618,933
नोट - स्रोत पर काटा गया कर दर्शाया जाए।			

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 017195Nएन

हस्ता/-
अनिल कपूर
(साझेदार)
एम.सं. 094111

हस्ता/-
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/-
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथिः 13 जून, 2022
यूडीआईएन सं.: 22094111AKVEAR8783

विनियामक फोरम

31 मार्च, 2022 को अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रु. म)

अनुसूची -9- अन्य आय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1) परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ :		
क) स्वाधिकृत आस्तियाँ	-	-
ख) अनुदानों से अर्जित, या निःशुल्क प्राप्त आस्तियाँ	-	-
2) वसूल किए गए निर्यात प्रोत्साहन	-	-
3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4) विविध आय	-	-
5) देयताएं जिनकी आवश्यकता नहीं	-	-
कुल	-	-

अनुसूची -10- स्थापना व्यय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) वेतन एवं मजदूरी	-	-
ख) भत्ते एवं बोनस	-	-
ग) भविष्य निधि में अंशदान	-	-
घ) अन्य निधि में अंशदान (निर्दिष्ट करें)	-	-
ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सीमान्तक लाभ पर व्यय	-	-
छ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 017195Nएन

हस्ता/-
अनिल कपूर
(साझेदार)

हस्ता/-
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/-
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथिः 13 जून, 2022
यूडीआईएन सं.: 22094111AKVEAR8783

विनियामक फोरम
31 मार्च, 2022 को अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रु. में)

अनुसूची -11- अन्य प्रशासनिक खर्चे	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) क्रय	-	-
ख) मजदूरी एवं प्रसंस्करण प्रभार	**3,292,892**	2,967,263
ग) ढुलाई एवं आवक ढुलाई	-	-
घ) विद्युत एवं शक्ति	-	-
ङ) जल प्रभार	-	-
च) बीमा	-	-
छ) मरम्मत एवं रखरखाव	-	-
ज) उत्पाद शुल्क	-	-
झ) किराया, दरें एवं कर	-	-
ञ) वाहन संचालन एवं रखरखाव	-	-
ट) डाक, टेलिफोन एवं संचार प्रभार	-	19,590
ठ) मुद्रण एवं लेखन सामग्री	**160,655**	261,323
ड) यात्रा एवं वाहन व्यय	**4,156**	-
ढ) सेमिनार/कार्यशालाओं पर व्यय	**2,888,086**	-
ण) अभिदान व्यय	-	-
त) फीस पर व्यय	-	-
थ) लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक	**25,000**	25,000
द) आतिथ्य व्यय	-	-
ध) व्यावसायिक प्रभार	**870,491**	1,375,306
न) अशोध्य संदिग्ध कर्ज/अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
प) अपलिखित अशोध्य शेष	-	-
फ) पैकिंग प्रभार	-	-
ब) भाड़ा एवं अग्रेषण व्यय	-	-
भ) वितरण व्यय	-	-
म) विज्ञापन एवं प्रचार (अपलिखित अतिरिक्त प्रावधान का निवल)	**152,637**	63,781
य) क्षमता निर्माण व परामर्श	**1,860,000**	3,832,750
कक) सचिवीय व्यय	-	-
कख) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
i) अन्य व्यय (अपलिखित अतिरिक्त प्रावधान का निवल)	**116,865**	21,074
ii) वेबसाइट व्यय	-	14,500
iii) आत्म मूल्यांकन कर पर प्रदत्त ब्याज	-	-
iv) अपील के लिए फीस	-	-
कुल	**9,370,782**	8,580,587

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 017195Nएन

हस्ता/-
अनिल कपूर
(साझेदार)
एम.सं. 094111

हस्ता/-
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/-
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 13 जून, 2022

यूडीआईएन सं.: 22094111AKVEAR8783

विनियामक फोरम

अनुसूची 12 एवं 13 : (31 मार्च, 2022 को तुलन पत्र का भाग)

विनियामक फोरम की पृष्ठभूमि

विनियामक फोरम विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 166(2) के अधीन उपबंध के अनुसरण में 16 फरवरी, 2005 को अधिसूचना के माध्यम से गठित किया गया। फोरम ने केविविआ के अध्यक्ष और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्ष शामिल हैं। केविविआ के अध्यक्ष फोरम के अध्यक्ष हैं।

फोरम निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:

- केन्द्रीय आयोग और राज्य आयोग के टैरिफ आदेशों और अन्य आदेशों का विश्लेषण और कंपनियों के कुशल सुधारों को विशेष रूप से रेखांकित करते हुए उक्त आदेशों उद्धृत आंकड़ों का संकलनय
- विद्युत क्षेत्र में विनियम को सुसंगत करना;
- अधिनियम के अधीन यथापेक्षित अनुज्ञप्तिधारियों के कार्यनिष्पादन के मानक निर्धारित करना।
- सामान्य हित और सामान्य दृष्टिकोण के विभिन्न विषयों पर फोरम के सदस्यों में सूचना शेयर करना।
- विद्युत क्षेत्र विनियम से संबंधित विषयों पर आउटसोर्स के माध्यम से या इनहाउस अनुसंधान कार्य करना।
- उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण के लिए और विद्युत क्षेत्र में कुशलता किफायत प्रतिस्पर्धा को विकसित करना, और
- इस प्रकार के अन्य कार्य जैसा कि केन्द्रीय सरकार समय–समय से निर्दिष्ट करती है।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों के नोट

1. लेखांकन की पद्धति

लेखा ऐतिहासिक लागत पारंपरिक उपचित आधार के अधीन तैयार किए जा रहे हैं और कंपनी अधिनियम धारा, 2013 की धारा 133 के अधीन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनिवार्य लेखांकन मानक के अनुरूप अनुपालन किया जा रहा है।

2. आय की मान्यता

प्रत्येक सदस्य से सदस्यता शुल्क वार्षिक आधार पर प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार की फीस और अन्य आय उपचित आधार पर लेखा बहियों में की जाती है।

3. नियत आस्तियां और मूल्यह्रास

नियत आस्तियों पर मूल्यह्रास आयकर अधिनियम 61 में निर्धारित दरों के अनुसार बट्टा खाते मूल्य पद्धति पर किया गया है।

4. अनुदान

क्षमता निर्माण और परामर्श के लिए प्राप्त सरकारी अनुदान उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है। अव्ययित अनुदान वापस किया गया है या देयता के रूप में दर्शाया गया है।

5. उत्तरवर्ती घटना को समायोजित करना

कर से संबंधित मामले

(क) निर्धारण वर्ष 2016–17 के लिए जांच मूल्यांकन

(i) आयकर छूट की अनुपस्थिति में, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2016–17 (वित्त.व. 2015–16) के लिए रु. 25,03,750/– का कर और रु. 21,70,000/– का जुर्माना लगाया है। एफओआर ने कर का भुगतान किया है और जुर्माने के विरुद्ध सीआईटी (ए) के पास अपील दायर की है।

(ii) दिनांक 31.07.2019 को केविविआ एवं एफओआर के उच्चतर अधिकारियों ने, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष से भेंट की जहाँ एफओआर के लिए छूट के अनुरोध से संबंधित मामले पर विस्तार से चर्चा हुई। तथापि, अध्यक्ष, सीबीडीटी को ज्ञात हुआ कि एफओआर को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(46) के अधीन छूट प्रदान किए जाने के लिए कोई समुचित आधार नहीं है। अध्यक्ष, एफओआरध्केविविआ की ओर से दिनांक 11.09.2019 का अर्धशासकीय पत्र अध्यक्ष, सीबीडीटी को सकारात्मक निर्णय और एफओआर को छूट प्रदान किए जाने के अनुरोध के साथ भेजा गया। तथापि, कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः भविष्य में एफओआर को आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 10(46) के अधीन छूट प्रदान किया जाना निश्चित नहीं है।

(iii) वित्त मंत्रालय ने 18 मार्च, 2020 को अपनी अधिसूचना द्वारा एक नई योजना अर्थात् ''विवाद से विश्वास योजना 2020'' आरंभ की है। आरंभ की गई योजना, प्रत्यक्ष करों के मामले में विवादों के समाधान के लिए है। उक्त योजना के अनुसार, विवादित जुर्माने या विवादित ब्याज से संबंधित कोई भी अपील (31 जनवरी, 2020 को लंबित) का निपटान 31 मार्च, 2020 को या इससे पूर्व विवादित जुर्माने या विवादित ब्याज, जैसा भी मामला हो, के 25% (और इसके बाद 30 जून, 2020 को या इससे पूर्व 10% का अतिरिक्त भुगतान द्वारा) के भुगतान द्वारा किया जा सकता है। तथापि, अब इस योजना को 31 दिसम्बर, 2020 तक बढ़ा दिया गया है। 11 मई, 2020 एवं 15 मई, 2020 को आयोजित एफओआर की 71वीं बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त योजना का लाभ उठाया जाए और नि. व. 2016–17 के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा लगाए गए जुर्माने (जैसा कि उपर्युक्त मद (iv) में संदर्भित है) का भुगतान किया जाए और मामले को समाप्त किया जाए। तदनुसार, वित्त.व. 2020–21 के दौरान, एफओआर सचिवालय ने रु. 5,42,500/– की राशि का भुगतान कुल जुर्माना राशि के 25% के लिए किया और आयकर प्राधिकारियों के अधीन इस मामले की समाप्ति के दिनांक 15 जून, 2021 का अंतिम आदेश विधिवत रूप से प्राप्त किया गया है।

6. आकस्मिक देयताएं

(i) वित्तीय वर्षों 2005–06 से 2014–15 के लिए आयकर के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है और ब्याजध्जुर्माना, यदि कोई हो, का निर्धारण और उपबंध नहीं किया गया है जो कि आयकर छूट प्राप्त नहीं होने की दशा में हो सकते हैं।

(ii) पूर्व वर्षों के लिए सेवा कर के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है।

7. सेवानिवृत्ति लाभ

एफओआर में कोई नियमित कर्मचारी नहीं हैं। अतः कोई सेवानिवृत्ति लाभ देय नहीं है / उपबंध नहीं किया गया है।

8. ऑटो स्वीप/फ्लेक्सी डिपॉसिट में जमा और एफडीआर में निवेश

ऑटो स्वीप/फ्लेक्सी डिपॉसिट में सावधि जमा और अल्पकालिक जमा को लागत पर वर्णित किया गया है और नकदी एवं बैंक शेष में दर्शाया गया है।

9. आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया और जहां आवश्यक हो उनकी पुनः व्यवस्था की गई।

कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 017195एन

हस्ता/–
(अनिल कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं.: 094111
स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 13 जून, 2022
यूडीआईएनः 22094111AKVEAR8783

विनियामक फोरम (एफओआर)

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

विनियामक फोरम
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रु. में)

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2021–22	पूर्ववर्ती वर्ष 2020–21	भुगतान	चालू वर्ष 2021–22	पूर्ववर्ती वर्ष 2020–21
1. आरंभिक शेष:			**1. निम्नलिखित को रिलीज़:**		
(क) नकद शेष	23.75	23.75	भारत सरकार – विद्युत मंत्रालय – योजना निधि (क्षमता निर्माण एवं परामर्श के लिए)	722,795.00	–
(ख) बैंक शेष					
(i) बचत खाता:					
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया – बचत–सह–ऑटो स्वीप खाता	49,846,263.00	48,615,225.25			
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया – बचत खाता (योजना निधि)	0.29	2,455,707.19			
(ii) सावधि जमा (कोरपस निधि)	37,010,643.73	37,010,643.73			
2. निम्नलिखित से रिलीज़: भारत सरकार – विद्युत मंत्रालय – योजना निधि (क्षमता निर्माण एवं परामर्श के लिए)	1,200,000.00	–	2. व्यय:		
			(क) बैठक एवं संगोष्ठी व्यय	834,530.00	–
			(ख) व्यावसायिक शुल्क (स्टाफ परामर्शदाता)	774,491.00	1,202,810.00
			(ग) क्षमता निर्माण एवं परामर्शरू		
			– फोरम की निधि	1,365,000.00	3,347,150.00
			– योजना निधि	488,963.00	2,394,080.00
			(घ) प्रशासनिक व्ययरू		
			– विज्ञापन एवं प्रचार व्यय	152,637.00	64,601.00
			– बैंक प्रभार (फोरम की निधि)	666.70	870.25
			– बैंक प्रभार (योजना निधि)	59.00	5.90
			– श्रम (आउटसोर्सिंग) व्यय	2,957,763.00	2,575,553.00
			– मुद्रण एवं लेखन सामग्री व्यय	160,655.00	261,323.00
			– व्यावसायिक प्रभार	68,000.00	46,997.00
			– टैलीफोन व्यय	–	19,948.00
			– यात्रा व्यय	4,156.00	–
			– अन्य व्यय:		
			– ई–टीडीएस फाईल करने हेतु व्यय	200.00	200.00
			– कार्यालय व्यय/लेखा परीक्षा व्यय	114,706.73	7,400.00

विनियामक फोरम
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रु. में)

	प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2021–22	पूर्ववर्ती वर्ष 2020–21	भुगतान	चालू वर्ष 2021–22	पूर्ववर्ती वर्ष 2020–21
3.	आयोग की प्राप्तियां			3. (i) स्टाफ को अग्रिम		
				(क) अन्य अग्रिम (व्यय)		
	(क) सदस्यता शुल्क (फोरम की निधि)	11,200,000.00	8,800,000.00			
				(ii) समायोजन / विप्रेषण / देयः		
	(ख) फ्लेक्सी जमा / सावधि जमा रसीद से ब्याजः					
	– फोरम की निधि	2,084,978.00	2,371,334.00	(क) विज्ञापन एवं प्रचार व्यय	–	480.00
	– कोरपस निधि	1,789,616.00	2,548,928.00	(ख) लेखा परीक्षा फीस	25,000.00	25,000.00
				(ग) कार्यालय व्यय	774.00	–
				(घ) श्रम (आउटसोर्सिंग) व्यय (दायित्व का निवल)	405,113.00	218,508.00
				(ङ) व्यवसायिक प्रभार	31,249.00	18,999.00
				(च) व्यवसायिक प्रभार (स्टाफ परामर्शदाता)	86,487.00	225,000.00
	(ग) बचत खातों से ब्याजः			(छ) टेलीफोन व्यय	–	6,147.00
	– फोरम की निधि	1,818.00	569.00	(ज) ऑटो स्वीप एफडीआर से ब्याज (फोरम की निधि)	–	2.00
	– योजना निधि	11,817.00	22,563.00	(झ) आयकर (अग्रिम कर, टीडीएस, जीएसटी एवं आत्म मूल्यांकन कर पर टीडीएस)	3,340,921.00	3,264,219.00
				(ञ) जीएसटी (आउटपुट)	1,944,000.00	2,160,000.00
				(ट) जीएसटी (इनपुट)	958,315.48	1,149,581.00
				(ठ) बैठक के लिए अग्रिम	50,000.00	–
				(ड) कार्यालय व्यय / नियत आस्तियों के लिए अग्रिम	15,000.00	14,200.00
				(ढ) विज्ञापन, संविदा एवं व्यावसायिक शुल्क पर देय टीडीएस	449,338.00	298,761.00
				(ण) सीजीएसटी, एसजीएसटी एवं आईजीएसटी पर देय टीडीएस	142,495.00	91,286.00
				(त) वेबसाइट व्यय	17,110.00	–
				(थ) प्रशिक्षण व्यय	405,680.00	–
				(द) प्राप्य आईजीएसटी पर टीडीएस	88,000.00	62,449.00
				(III) अन्य द्वाराः		
				(क) अन्य व्यय	–	518,380.00
				(ख) कर के लिए प्रावधान (नि. व. 2016–17)	–	542,500.00
4.	जमा प्राप्तियां:			4. नियत आस्तियों पर व्ययरू		
				(क) टेबलेट	–	52,966.00
				(ख) कंप्यूटर	132,891.52	–
5.	विप्रेषण प्राप्तियां			5. अंतिम शेषः		
				(क) नकद शेष	23.75	23.75
				(ख) बैंक शेष		
				(i) बचत खाताः		
				यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बचत–सह–ऑटो स्वीप खाता	57,769,503.57	49,846,263.00
				यूनियन बैंक ऑफ इंडिया – बचत खाता (योजना निधि)	0.29	0.29
				(ii) सावधि जमा (कॉरपस निधि)	37,010,643.73	37,010,643.73

विनियामक फोरम
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रु. में)

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2021–22	पूर्ववर्ती वर्ष 2020–21	भुगतान	चालू वर्ष 2021–22	पूर्ववर्ती वर्ष 2020–21
6. अन्य प्राप्तिया					
– अन्य व्यय	–	518,390.00			
– प्राप्य सदस्यता फीस	3,200,000.00	–			
– बैठक के लिए अग्रिम	17,274.00	–			
– जीएसटी (इनपुट) दावा	1,103,137.00	914,358.00			
– प्राप्य आईजीएसटी पर टीडीएस	56,000.00	74,449.00			
– विज्ञापन, संविदा एवं व्यावसायिक शुल्क पर देय टीडीएस	282,716.00	372,147.00			
– सीजीएसटी, एसजीएसटी एवं आईजीएसटी पर देय टीडीएस	102,956.00	135,649.00			
– देय व्यावसायिक प्रभार (एफओआर की निधि)	2,925.00	–			
– कार्यालय व्यय/नियत आस्तियों के लिए अग्रिम	15,000.00	2,360.00			
– प्राप्य जीएसटी (आउटपुट)	2,592,000.00	1,584,000.00			
कुल	**110,517,167.77**	**105,426,346.92**	**कुल**	**110,517,167.77**	**105,426,346.92**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

विनियामक फोरम (एफओआर)

कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 017195एन

हस्ता/–
(अनिल कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं.: 094111

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 13 जून, 2022
यूडीआईएनः **22094111AKVEAR8783**

विनियामक फोरम
प्रथम तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ
नई दिल्ली – 110 001

वि.व. 2021–22 के लिए सरकारी वित्तीय सहायता के लेखा का विवरण

राशि (रुपए में)

विवरण	वि.व. 2021–2022	वि.व. 2020–2021
आरंभिक शेष	-	1,199,945
जोड़:		
प्राप्त ब्याज **(टीडीएस = रु. शून्य)**	**11,817**	22,557
विद्युत मंत्रालय से वर्ष के दौरान प्राप्त निधि	**1,200,000**	-
कुल (क)	**1,211,817**	1,222,502
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग		
अध्ययन एवं परामर्श प्रभार	-	-
क्षमता निर्माण	**488,963**	-
बैंक प्रभार	**59**	-
अर्जित ब्याज के कारण विद्युत मंत्रालय को वापस	**11,817**	22,557
अव्ययित वित्तीय सहायता के कारण विद्युत मंत्रालय को वापस	**710,978**	1,199,945
कुल (ख)	**1,211,817**	**1,222,502**
कुल (क–ख)	-	**-**
अगले वर्ष के लिए अग्रेषित शेष राशि	**-**	**-**

हमारी रिपोर्ट के अनुसार यहां संलग्न सम तिथि पर

कृते एवीएएन एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 017195एन

हस्ता/–
अनिल कपूर
(साझेदार)
एम.सं.094111

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 13 जून, 2022
यूडीआईएन सं. : 22094111AKVEAR8783

अनुबंध - 1

केविविआ का टैरिफ अनुसूची उत्पादन

क. थर्मल एवं गैस पावर स्टेशन का नियत प्रभार और ऊर्जा प्रभार

एनटीपीसी उत्पादन थर्मल स्टेशन					
क्र.सं.	स्टेशन का नाम	31.03.2022 को संस्थापित क्षमता (एमडब्ल्यू)	मानकीय नियत प्रभार (रुपये/किलोवाट घण्टा)/85% एसजी	ऊर्जा प्रभार दर (रुपये/किलोवाट घण्टा)	कुल शुल्क (रुपये/किलोवाट घण्टा)
1	सिंगरोली एसटीपीएस	2000	0.65	1.39	2.04
2	रिहंद एसटीपीएस -I	1000	0.84	1.41	2.25
3	रिहंद एसटीपीएस-II	1000	0.70	1.41	2.11
4	रिहंद एसटीपीएस-III	1000	1.44	1.39	2.83
5	एफजीयूटीपीएस उन्चाहर-I	420	1.08	3.04	4.12
6	एफजीयूटीपीएस उन्चाहर-II	420	1.01	3.06	4.06
7	एफजीयूटीपीएस उन्चाहर-III	210	1.34	3.08	4.42
8	एफजीयूटीपीएस उन्चाहर-IV	500	1.55	2.91	4.47
9	टांडा-I	440	1.26	3.31	4.57
10	टांडा-II	660	1.60	2.59	4.19
11	एनसीटीपीएस दादरी-I	840	0.97	3.32	4.29
12	एनसीटीपीएस दादरी-II	980	1.43	3.28	4.71
13	कोरबा एसटीपीएस-I-II	2100	0.68	1.39	2.07
14	कोरबा एसटीपीएस-III	500	1.38	1.36	2.75
15	सिपत एसटीपीएस-I	1980	1.30	1.39	2.69
16	सिपत एसटीपीएस-II	1000	1.23	1.44	2.68
17	विंध्याचल एसटीपीएस-I	1260	0.85	1.66	2.52
18	विंध्याचल एसटीपीएस-II	1000	0.70	1.59	2.29
19	विंध्याचल एसटीपीएस-III	1000	1.04	1.57	2.62
20	विंध्याचल एसटीपीएस-IV	1000	1.56	1.56	3.12
21	विंध्याचल एसटीपीएस-V	500	1.67	1.60	3.27
22	लारा	1600	1.67	2.03	3.70
23	सोलापुर	1320	1.72	3.06	4.78
24	मौदा एसटीपीएस-I	1000	1.87	2.71	4.59
25	मौदा एसटीपीएस-II	1320	1.48	2.90	4.39
26	गाडरवारा	1600	2.08	2.50	4.58
27	खरगोन	1320	1.81	2.71	4.52
28	तलचर एसटीपीएस–I	1000	0.96	2.00	2.95
29	तलचर एसटीपीएस–II	2000	0.71	1.97	2.69
30	तलचर टीपीएस	460	1.44	1.87	3.31
31	दर्लिपाली	800	2.11	1.08	3.20
32	कहलगाँव एसटीपीएस-I	840	1.05	2.23	3.28
33	कहलगाँव एसटीपीएस-II	1500	1.09	2.11	3.19
34	फरक्का एसटीपीएस-I-II	1600	0.82	2.70	3.52

35	फरक्का एसटीपीएस -III	500	1.49	2.66	4.14
36	बड़ एसटीपीएस –II	1320	1.84	2.65	4.48
37	बरौनी-I	220	0.73	3.38	4.11
38	बरौनी -II	250	2.43	2.64	5.06
39	बोंगेगाँव टीपीएस	750	2.40	3.37	5.77
40	रामागुंडम एसटीपीएस -I-II	2100	0.73	2.40	3.13
41	रामागुंडम एसटीपीएस -III	500	0.77	2.33	3.10
42	सिम्हादरी एसटीपीएस -I	1000	0.94	2.96	3.89
43	सिम्हादरी एसटीपीएस -II	1000	1.52	2.93	4.44
44	कुदगी	2400	1.66	3.15	4.81
	एनटीपीसी गैस स्टेशन				
45	फरीदाबाद	431.59	0.74	2.68	3.42
46	औरैया	663.36	0.63	3.51	4.15
47	दादरी	829.78	0.58	3.13	3.71
48	अंता	419.33	0.71	3.76	4.47
49	गंधार	657.39	1.06	2.13	3.18
50	कवास	656.20	0.84	2.00	2.83
51	कायमकुलम	359.58	1.14	6.71	7.85
	2020-21 के लिए एनटीपीसी – जेवी स्टेशन टैरिफ				
52	एमयूएनपीएल, मेजा	1320	2.09	2.56	4.64
53	एपीसीपीएल, झज्जर	1500	1.62	3.25	4.87
54	एनटीईसीएल, वेल्यूर	1500	1.78	2.97	4.75
55	बीआरबीसीएल, नबीनगर	750	2.37	2.31	4.68
56	एनपीजीसीएल, नबीनगर	660	2.54	2.08	4.62
57	केबीयूएनएल, कांती.I	220	1.10	3.08	4.18
58	केबीयूएनएल, कांती –II	390	2.74	2.64	5.38
	मैथों पावर लिमिटेड				
59	मैथों पावर लिमिटेड	1050	1.420	2.540	3.960
	एनएलसी स्टेशन				
	उत्पादन स्टेशन का नाम	**संस्थापित क्षमता**	**ईसीआर (रुपये / किलोवाट घण्टा)**	**मानकीय नियत प्रभार (रुपये/किलो वाट घण्टा)**	**कुल टैरिफ (रुपये / किलो वाट घण्टा)**
60	टीएस-II स्टे-1	630	2.661	0.710	3.371
61	टीएस -II स्टे-2	840	2.623	0.736	3.359
62	टीपीएस-I ईएक्सपी.	420	2.454	0.965	3.419
63	बीटीपीएस	250	1.077	2.308	3.385
64	टीपीएस-2 ईएक्सपी.	500	2.562	2.309	4.871
65	एनटीपीएल	1000	2.842	1.553	4.395
66	एनएनटीपीपी	1000	2.193	1.804	3.997
	डीवीसी				
67	डीटीपीएस	210	392.70	259.10	651.80

68	एमटीपीएस (1-3)	630	319.80	118.90	438.70
69	एमटीपीएस (4)	210	318.50	90.40	408.90
70	एमटीपीएस (5-6)	500	304.40	152.40	456.80
71	एमटीपीएस (7-8)	1000	290.00	165.30	455.30
72	सीटीपीएस (7-8)	500	267.50	153.80	421.30
73	डीएसटीपीएस (1-2)	1000	294.60	189.70	484.30
74	केटीपीएस (1-2)	1000	265.70	172.20	437.90
75	आरटीपीएस (1-2)	1200	306.70	216.20	522.90
76	बीटीपीएस ए	500	227.30	253.00	480.30
	पीपीसीएल बवाना				
77	पीपीसीएल बवाना टीपीएस	1371.2	1.320	3.150	4.470
	ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लि., पलटाना परियोजना				
78	ओटीपीसी टीपीएस	671.2	1.410	1.870	3.280
	नीपको गैस संयंत्र				
82	एजीबीपी	291.00	1.387	2.041	3.428
83	एजीटीसीसीपी	135.00	1.893	1.803	3.696
84	टीजीबीपी	101.00	2.053	2.981	5.034
	ओटीपीसी				
85	ओटीपीसी पलटाना	726.6	1.87	1.41	3.28

टिप्पणः टैरिफ विवरण वर्ष 2021–22 के लिए संबंधित उत्पादन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर तैयार किया गया।

ख. हाइड्रो उत्पादन स्टेशन का समन्वित टैरिफ

क्र.सं.	उत्पादन स्टेशन	संस्थापित क्षमता (एमडब्ल्यू)	यूनिट की संख्या/क्षमता	वार्षिक डिजाइन ऊर्जा (एमयू)	समन्वित टैरिफ (जेएण्डके के लिए जल कर सहित) (रु./किलोवाट घण्टा)
	एनएचपीसी				
1	बैरास्यूल	180	(3x60)	779.28	2.244
2	सलाल	690	(6x115)	3082	2.359
3	टनकपुर	94.2	(3x31.4)	452.19	3.297
4	चमेरा-I	540	(3x180)	1664.55	2.282
5	यूरी	480	(4x120)	2587.38	2.116
6	चमेरा -II	300	(3x100)	1499.89	2.009
7	धौलीगंगा	280	(4x70)	1134.69	2.510
8	दुलहस्ती	390	(3x130)	1906.8	5.078
9	लोकटक	105	(3x35)	448	3.891
10	रंगित	60	(3x20)	338.61	3.810
11	तिस्ता -V	510	(3x170)	2572.7	2.326
12	यूरी-II	240	(4x60)	1123.77	5.153
13	नीम बाज़गो	45	(3x15)	239.33	10.578
14	चटक	44	(4x11)	212.93	9.871

15	सेवा-II	120	(3 x 40)	533.53	5.484
16	चमेरा-III	231	(3 x 77)	1108.17	3.940
17	पारबती-III	520	(4 x 130)	1963.29	3.079
18	टीएलडीपी - III	132	(3 x 44)	594.07	5.300
19	टीएलडीपी - IV	160	(4x40)	720	4.350
20	किशनगंगा	330	(3x110)	1712.96	4.101
	तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड				
21	तीस्ता -III	1200	(200*6)	5213.82	5.826
	एसजेवीएनएल				
22	नाथपाझाकरी	1500	(250x6)	6612	2.332
23	रामपुर	412	(68.67x6)	1878.08	4.168
	नीपको				
24	रंगानदी	405	(3x135)	1509.69	2.424
25	कोपिली एसटी-I	200	(4x50)	1186.14	1.166
26	कोपिली एसटी-II	25	(1x25)	86.30	2.767
27	खंदोंग	50	(2x25)	227.61	1.677
28	दोयांग	75	(3x25)	227.24	6.530
29	टयूरियल	60	(2x30)	250.63	5.150
30	पारे*	110	(2x55)	506.42	5.00
31	कामेंग*	600	(4x150)		4.00
	टीएचडीसी				
32	टिहरी	1000	(4x250)	2797	3.87
33	कोटेश्वर	400	(4x100)	1154.82	4.61
	एनएचडीसी				
34	इंदिरा सागर	1000	(8x125)	1442.7	3.67
35	ओमकारेश्वर	520	(8x65)	677.47	4.55
	डीवीसी				
36	मैथॉन	63.20	(2x20, 1x23.20)	137	अभी तक उपलब्ध नहीं है।
37	पंचेत	80	(2x40)	237	अभी तक उपलब्ध नहीं है।
38	तलैया	4	(2x2)	-	अभी तक उपलब्ध नहीं है।
	आईपीपी				
39	करछम वांगतू	1000	(4x250)	4559.77	2.868
	एनटीपीसी				
40	कोलडम	800	(4x200)	3054.79	4.902

*नीपको और इसके लाभार्थियों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत

ग. नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ		
विवरण	**स्तरीकृत कुल टैरिफ (वित्तीय वर्ष 2020-21) (रुपये/किलोवाट घण्टा)**	**स्तरीकृत कुल टैरिफ (वित्तीय वर्ष 2021-22) (रुपये/किलोवाट घण्टा)**
लघु हाइड्रो पावर परियोजना		
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्य और संघशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख (5एमडब्ल्यू से कम)	5.16	5.15
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्य और संघशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख (5 एमडब्ल्यू से 25 एमडब्ल्यू)	4.72	4.70
अन्य राज्य (5 एमडब्ल्यू से कम)	5.74	5.74
अन्य राज्य (5 एमडब्ल्यू से 25 एमडब्ल्यू) (रुपये/किलोवाट घण्टा)	5.71	5.68

राज्य	**स्तरीकृत नियत लागत**	**परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2021-22)**	**लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2021-22)**	**वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)**	**शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)**
	(रु./किलो घण्टा)	(रु./किलो घण्टा)	(रु./किलो घण्टा)	(रु./किलो घण्टा)	(रु./किलो घण्टा)
बायोमास पावर परियोजना ख्राइस स्ट्रा और जूलीफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अलावा, वाटर कूल्ड कंडेनसर तथा ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलर के साथ					
आंध्रप्रदेश	2.62	5.26	7.88	0.11	7.77
हरियाणा	2.68	5.98	8.66	0.11	8.55
महाराष्ट्र	2.69	6.12	8.81	0.11	8.7
पंजाब	2.7	6.26	8.96	0.11	8.85
राजस्थान	2.62	5.22	7.85	0.11	7.73
तमिलनाडु	2.62	5.17	7.79	0.11	7.68
तेलंगाना	2.62	5.26	7.88	0.11	7.77
उत्तर प्रदेश	2.63	5.35	7.98	0.11	7.87
अन्य	2.65	5.62	8.27	0.11	8.16

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2021-22)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2021-22)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रु./किलो घण्टा)	(रु./किलो घण्टा)	(रु./किलो घण्टा)	(रु./किलो घण्टा)	(रु./किलो घण्टा)
बायोमास पावर परियोजना ख्राइस स्ट्रा और जूलीफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अलावा, वाटर कूल्ड कंडेनसर तथा ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलर के साथ					
आंध्रप्रदेश	2.77	5.38	8.14	0.12	8.02
हरियाणा	2.82	6.12	8.94	0.12	8.82
महाराष्ट्र	2.84	6.26	9.09	0.12	8.97
पंजाब	2.85	6.4	9.25	0.12	9.13
राजस्थान	2.77	5.34	8.11	0.12	7.99
तमिलनाडु	2.76	5.29	8.05	0.12	7.93
तेलंगाना	2.77	5.38	8.14	0.12	8.02
उत्तर प्रदेश	2.77	5.47	8.25	0.12	8.12
अन्य	2.8	5.75	8.55	0.12	8.42

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2021-22)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2021-22)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रु./किलो घण्टा)	(रु./किलो घण्टा)	(रु./किलो घण्टा)	(रु./किलो घण्टा)	(रु./किलो घण्टा)
बायोमास पावर परियोजना ख्राइस स्ट्रा और जूलीफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अलावा, वाटर कूल्ड कंडेनसर तथा ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलर के साथ					
आंध्रप्रदेश	2.73	5.26	7.99	0.12	7.86
हरियाणा	2.78	5.98	8.77	0.12	8.65
महाराष्ट्र	2.79	6.12	8.91	0.12	8.79
पंजाब	2.8	6.26	9.06	0.12	8.94
राजस्थान	2.73	5.22	7.95	0.12	7.83
तमिलनाडु	2.72	5.17	7.89	0.12	7.77
तेलंगाना	2.73	5.26	7.99	0.12	7.86
उत्तर प्रदेश	2.74	5.35	8.08	0.12	7.96
अन्य	2.76	5.62	8.38	0.12	8.26

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2021-22)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2021-22)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रु./किलो घण्टा)	(रु./किलो घण्टा)	(रु./किलो घण्टा)	(रु./किलो घण्टा)	(रु./किलो घण्टा)
बायोमास पावर परियोजना ख्राइस स्ट्रा और जूलीफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अलावा, वाटर कूल्ड कंडेनसर तथा ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलर के साथ					
आंध्रप्रदेश	2.87	5.38	8.25	0.13	8.12
हरियाणा	2.93	6.12	9.05	0.13	8.92
महाराष्ट्र	2.94	6.26	9.2	0.13	9.07
पंजाब	2.95	6.4	9.35	0.13	9.22
राजस्थान	2.87	5.34	8.21	0.13	8.08
तमिलनाडु	2.87	5.29	8.16	0.13	8.02
तेलंगाना	2.87	5.38	8.25	0.13	8.12
उत्तर प्रदेश	2.88	5.47	8.35	0.13	8.22
अन्य	2.9	5.75	8.65	0.13	8.52

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2021-22)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2021-22)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रु./किलो घण्टा)	(रु./किलो घण्टा)	(रु./किलो घण्टा)	(रु./किलो घण्टा)	(रु./किलो घण्टा)
बायोमास पावर परियोजना ख्राइस स्ट्रा और जूलीफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अलावा, वाटर कूल्ड कंडेनसर तथा एएफबीसी बॉयलर के साथ					
आंध्रप्रदेश	2.62	5.16	7.78	0.11	7.67
हरियाणा	2.67	5.88	8.55	0.11	8.44
महाराष्ट्र	2.68	6.01	8.69	0.11	8.58
पंजाब	2.69	6.15	8.84	0.11	8.73
राजस्थान	2.61	5.13	7.75	0.11	7.63
तमिलनाडु	2.61	5.08	7.69	0.11	7.58
तेलंगाना	2.62	5.16	7.78	0.11	7.67
उत्तर प्रदेश	2.62	5.25	7.88	0.11	7.77
अन्य	2.64	5.52	8.17	0.11	8.06

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2021-22)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2021-22)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रु./किलो घण्टा)	(रु./किलो घण्टा)	(रु./किलो घण्टा)	(रु./किलो घण्टा)	(रु./किलो घण्टा)
बायोमास पावर परियोजना ख्राइस स्ट्रा और जूलीफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अलावा, वाटर कूल्ड कंडेनसर तथा एएफबीसी बॉयलर के साथ					
आंध्रप्रदेश	2.76	5.28	8.04	0.12	7.92
हरियाणा	2.82	6.01	8.83	0.12	8.7
महाराष्ट्र	2.83	6.15	8.97	0.12	8.85
पंजाब	2.84	6.29	9.12	0.12	9
राजस्थान	2.76	5.25	8.01	0.12	7.88
तमिलनाडु	2.75	5.19	7.95	0.12	7.83
तेलंगाना	2.76	5.28	8.04	0.12	7.92
उत्तर प्रदेश	2.77	5.37	8.14	0.12	8.02
अन्य	2.79	5.65	8.44	0.12	8.31

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2021-22)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2021-22)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रु./किलो घण्टा)	(रु./किलो घण्टा)	(रु./किलो घण्टा)	(रु./किलो घण्टा)	(रु./किलो घण्टा)
बायोमास पावर परियोजना ख्राइस स्ट्रा और जूलीफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अलावा, वाटर कूल्ड कंडेनसर तथा एएफबीसी बॉयलर के साथ					
आंध्रप्रदेश	2.72	5.16	7.88	0.12	7.76
हरियाणा	2.78	5.88	8.65	0.12	8.53
महाराष्ट्र	2.79	6.01	8.8	0.12	8.67
पंजाब	2.8	6.15	8.94	0.12	8.82
राजस्थान	2.72	5.13	7.85	0.12	7.73
तमिलनाडु	2.71	5.08	7.79	0.12	7.67
तेलंगाना	2.72	5.16	7.88	0.12	7.76
उत्तर प्रदेश	2.73	5.25	7.98	0.12	7.86
अन्य	2.75	5.52	8.27	0.12	8.15

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2021-22)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2021-22)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रु./किलो घण्टा)	(रु./किलो घण्टा)	(रु./किलो घण्टा)	(रु./किलो घण्टा)	(रु./किलो घण्टा)
बायोमास पावर परियोजना ख्राइस स्ट्रा और जूलीफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अलावा, वाटर कूल्ड कंडेनसर तथा एएफबीसी बॉयलर के साथ					
आंध्रप्रदेश	2.87	5.28	8.15	0.13	8.01
हरियाणा	2.92	6.01	8.93	0.13	8.8
महाराष्ट्र	2.93	6.15	9.08	0.13	8.95
पंजाब	2.94	6.29	9.23	0.13	9.1
राजस्थान	2.86	5.25	8.11	0.13	7.98
तमिलनाडु	2.86	5.19	8.05	0.13	7.92
तेलंगाना	2.87	5.28	8.15	0.13	8.01
उत्तर प्रदेश	2.87	5.37	8.25	0.13	8.11
अन्य	2.89	5.65	8.54	0.13	8.41

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2021-22)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2021-22)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रु./किलो घण्टा)	(रु./किलो घण्टा)	(रु./किलो घण्टा)	(रु./किलो घण्टा)	(रु./किलो घण्टा)
बगासे आधारित सह–उत्पादन परियोजना					
आंध्रप्रदेश	2.91	3.45	6.36	0.16	6.2
हरियाणा	2.63	4.9	7.53	0.14	7.39
महाराष्ट्र	2.36	4.83	7.19	0.12	7.07
पंजाब	2.58	4.32	6.9	0.14	6.76
तमिलनाडु	2.27	3.71	5.99	0.12	5.86
तेलंगाना	2.51	3.45	5.96	0.14	5.82
उत्तर प्रदेश	2.94	3.85	6.79	0.16	6.63
अन्य	2.57	4.18	6.74	0.14	6.61

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2021-22)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2021-22)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रु./किलो घण्टा)	(रु./किलो घण्टा)	(रु./किलो घण्टा)	(रु./किलो घण्टा)	(रु./किलो घण्टा)
बायोमास गैसीफायर पावर परियोजना					
आंध्रप्रदेश	2.58	4.85	7.43	0.08	7.35
हरियाणा	2.63	5.52	8.15	0.08	8.07
महाराष्ट्र	2.64	5.65	8.29	0.08	8.21
पंजाब	2.65	5.78	8.43	0.08	8.34
राजस्थान	2.58	4.82	7.4	0.08	7.32
तमिलनाडु	2.58	4.77	7.35	0.08	7.26
तेलंगाना	2.58	4.85	7.43	0.08	7.35
उत्तर प्रदेश	2.59	4.94	7.52	0.08	7.44
अन्य	2.61	5.19	7.79	0.08	7.71
बायोगैस आधारित उत्पादन					
बायोगैस	3.32	5.09	8.41	0.16	8.25

अनुबंध - II

एसईआरसी / जेईआरसी के टैरिफ आदेशों को जारी करने की समयबद्धता

क्र.सं.	राज्य	डिस्कॉम	वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए लागू टैरिफ आदेश			
			विनियम के अनुसार टैरिफ जारी करने की तिथि	टैरिफ आदेश जारी करने की वास्तविक तिथि	आदेश की प्रयोज्यता	टिप्पणियां
1	अंडमान एवं निकोबार	विद्युत विभाग, अंदमान एवं निकोबार प्रशासन (ईडी एएण्डएन)	2021-22	31-मई-21		देरी के लिए किसी कारण का उल्लेख नहीं किया
2	आंध्र प्रदेश	पूर्वी पावर वितरण कंपनी लि. आंध्र प्रदेश (एपीईपीडीसीएल)	2021-22	25-मार्च-21		
		दक्षिणी पावर वितरण कंपनी लि., आंध्र प्रदेश (एसपीडीसीएल)	2021-22	25-मार्च-21		
		केन्द्रीय पावर वितरण कंपनी लि. आंध्र प्रदेश (एपीईपीडीसीएल)	2021-22	25-मार्च-21		
3	अरुणाचल प्रदेश	विद्युत प्रभाग, अरुणाचल प्रदेश (डीओपी, एपी)	2018-19	31-मई-18	2021.2022 में कोई नया टैरिफ जारी नहीं किया गया।	
4	असम	असम पावर वितरण कंपनी लि. (एपीडीसीएल)	2021-22	15-फरवरी-21		
5	बिहार	उत्तर बिहार पावर वितरण कंपनी लि.(एनबीपीडीसीएल)	2021-22	26-मार्च-21		
		दक्षिण बिहार पावर वितरण कंपनी लि.(एसबीपीडीसीएल)	2021-22	26-मार्च-21		
6	चंडीगढ़	चंडीगढ़ विद्युत विभाग (सीईडी)	2021-22	30-मार्च-21		
7	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ राज्य पावर वितरण कंपनी लि. (सीएसपीडीसीएल)	2021-22	02-अगस्त-21		आदेश जारी करने में विलंब का कोई उल्लेख नहीं है।
8	दमन एवं दीव	दमन एवं दीव विद्युत विभाग (डीडीईडी)	2021-22	23-मार्च-21		आदेश जारी करने में विलंब का कोई उल्लेख नहीं है।
9	दादरा एवं नगर हवेली	दादरा एवं नगर हवेली पावर वितरण कार्पोरेशन लि. (डीएनएचपीडीसीएल)	2021-22	23-मार्च-21		
10	दिल्ली	बीआरपीएल	2021-22	30-सितंबर-21		आदेश जारी करने में विलंब का कोई उल्लेख नहीं है।

		बीवाईपीएल	2021-22	30-सितंबर-21		आदेश जारी करने में विलंब का कोई उल्लेख नहीं है।
		टीपीडीडीएल	2021-22	30-सितंबर-21		आदेश जारी करने में विलंब का कोई उल्लेख नहीं है।
11	गोवा	विद्युत विभाग, गोवा (ईडीजी)	2021-22	30-मार्च-21		
12	गुजरात	दक्षिण गुजरात विज कंपनी लि. (डीजीवीसीएल)	2021-22	31-मार्च-21		
		मध्य गुजरात विज कंपनी लि. (एमजीवीसीएल)	2021-22	31-मार्च-21		
		पश्चिम गुजरात विज कंपनी लि. (पीजीवीसीएल)	2021-22	31-मार्च-21		
		उत्तर गुजरात विज कंपनी लि. (यूजीवीसीएल)	2021-22	31-मार्च-21		
13	हरियाणा	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लि. (डीएचबीवीएनएल)	2021-22	30-मार्च-21		
		उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लि. (यूएचबीवीएनएल)	2021-22	30-मार्च-21		
14	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लि. (एचपीएसईबीएल)	2021-22	31-मई-21		
15	जम्मू और कश्मीर	जेकेपीडीडी	2016-17	07-अक्तूबर-16	2020–21 तक और 5 वर्षों के लिए आदेश जारी किए। इसके बाद कोई आदेश जारी नहीं किए गए।	
16	झारखण्ड	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि.	2020-21	01-अक्तूबर-20	अंतिम टैरिफ आदेश 2020-21 के लिए जारी किया गया। इसके बाद कोई नया टैरिफ आदेश जारी नहीं किया गया।	
17	कर्नाटक	बीईएससीओएम	2021-22	09-जून-21		आदेश जारी करने में विलंब का कोई उल्लेख नहीं है।
		सीएचईएससीओएम	2021-22	09-जून-21		आदेश जारी करने में

						विलंब का कोई उल्लेख नहीं है।
		जीईएससीओएम	2021-22	09-जून-21		आदेश जारी करने में विलंब का कोई उल्लेख नहीं है।
		एचईएससीओएम	2021-22	09-जून-21		आदेश जारी करने में विलंब का कोई उल्लेख नहीं है।
		एमईएससीओएम	2021-22	09-जून-21		आदेश जारी करने में विलंब का कोई उल्लेख नहीं है।
18	केरल	केएसईबी लिमिटेड	2021-22	08-जुलाई.19		आदेश जारी करने में विलंब का कोई उल्लेख नहीं है।
19	लक्षद्वीप	विद्युत विभाग, केन्द्रशासित लक्षद्वीप (एलईडी)	2021-22	31-मार्च-21		
20	मध्य प्रदेश	एमपीएमएकेवीवीसीएल	2021-22	30-जून-21		आदेश जारी करने में विलंब का कोई उल्लेख नहीं है।
		एमपीपीएकेवीवीसीएल	2021-22	30-जून-21		आदेश जारी करने में विलंब का कोई उल्लेख नहीं है।
		एमपीपीओकेवीवीसीएल	2021-22	30-जून-21		आदेश जारी करने में विलंब का कोई उल्लेख नहीं है।
21	महाराष्ट्र	टाटा पावर कंपनी लि. (डिस्ट्रिब्यूशन)	2021-22	30-मार्च-20		
		आरइंफ्रा डी/अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुम्बई लि.(एईएमएल)	2021-22	30-मार्च-20		
		महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल)	2021-22	30-मार्च-20		
		बृहनमुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एण्ड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (बीईएसटी)	2021-22	30-मार्च-20		

22	मणिपुर	मणिपुर स्टेट पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एमएसपीडीसीएल)	2021-22	26-अप्रैल-21		आदेश जारी करने में विलंब का कोई उल्लेख नहीं है।
23	मेघालय	मेघालय पावर डिस्ट्रिब्यूशन कार्पोरेशन लिमिटेड (एमईपीडीसीएल)	2021-22	25-मार्च-21		
24	मिजोरम	पावर एण्ड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट (पीएण्डईडी) मिजोरम	2021-22	26-मार्च-21		
25	नागालैण्ड	विद्युत विभाग, नागालैंड (डीपीएन)	2021-2022	20-मार्च-20	आदेश उक्त अवधि के लिए लागू है और वित्तीय वर्ष 2020–21 से वित्तीय वर्ष 2024–25 तक की नियंत्रण अवधि एमवाईटी के अधीन है।	
26	ओडिशा	सीईएसयू	2021-22	26-मार्च-21		
		सीईएसयू यूटिलिटी	2021-22	26-मार्च-21		
		एसओयूटीएचसीओ यूटिलिटी	2021-22	26-मार्च-21		
		डब्ल्यूईएससीओ यूटिलिटी	2021-22	26-मार्च-21		
27	पुदुचेरी	पुदुचेरी इलेक्ट्रिसिटी विभाग (पीईडी)	2021-22	01-मार्च-21		आदेश जारी करने में विलंब का कोई उल्लेख नहीं है।
28	पंजाब	पंजाब राज्य पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल)	2021-22	28-मई-21		आदेश जारी करने में विलंब का कोई उल्लेख नहीं है।
29	राजस्थान	अजमेर विद्युत वितरण निगम लि.	2021-22	24-नवंबर-21		आदेश जारी करने में विलंब का कोई उल्लेख नहीं है।
		जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.	2021-22	24-नवंबर-21		आदेश जारी करने में विलंब का कोई उल्लेख नहीं है।
		जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.	2021-22	24-नवंबर-21		आदेश जारी करने में विलंब का कोई उल्लेख नहीं है।

30	सिक्किम	एनर्जी एण्ड पावर डिपार्टमेंट] सिक्किम (ईपीडीएस)	2021-22	26-फरवरी-21		
31	तेलंगाना	दक्षिण पावर वितरण कंपनी लिमिटेड, तेलंगाना (टीएसएसपीडीसीएल)	2021-2022	29-अप्रैल.20	नियंत्रण अवधि के अधीन टैरिफ अवधि है।	आधार वर्ष के लिए वार्षिक लेखा को अंतिम रूप न देना याचिका कर्ता द्वारा उल्लिखित विलंब के कारण है।
		उत्तरी पावर वितरण कंपनी लिमिटेड, तेलंगाना (टीएसएनपीडीसीएल)	2021-2022	29.अप्रैल.20		
32	त्रिपुरा	त्रिपुरा राज्य विद्युत कार्पोरेशन लि. (टीएसईसीएल)	2020-21	01-सितंबर.20	2021–22 के लिए कोई टैरिफ आदेश जारी नहीं किए गए	
33	तमिल नाडु	तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण कॉर्पोरेशन लि. (टीएएनजीईडीसीओ)	2018-19	11-अगस्त.17	2021–22 के लिए कोई टैरिफ आदेश जारी नहीं किए गए	
34	उत्तर प्रदेश	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (आगरा डिस्कॉम या डीवीवीएनएल)	2021-22	29-जुलाई-21		लेखा परीक्षा प्रक्रिया का पूरा न होना और लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की गैर–उपलब्धता
		कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड	2021-22	29-जुलाई-21		
		मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (लखनऊ डिस्कॉम या एमवीवीएनएल)	2021-22	29-जुलाई-21		
		पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (मेरठ डिस्कॉम या पीवीवीएनएल)	2021-22	29-जुलाई-21		
		पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (वाराणसी डिस्कॉम या पीयूवीवीएनएल)	2021-22	29-जुलाई-21		
35	उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लि. (यूपीसीएल)	2021-22	26-अप्रैल-21		आदेश जारी करने में विलंब का कोई उल्लेख नहीं है।
36	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि. (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल)	2021-2022	28-अगस्त-20	नियंत्रण अवधि के अंतर्गत आने वाली अवधि	25 अगस्त 2020 से संशोधित तारीख

स्रोत : एफओआर विनियामक वेबटूल

अनुबंध - III

सीजीआरएफ और ओमबडसमैन के कार्य

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान सीजीआरएफ और ओमबडसमैन के संबंध में रिक्त पदों का सार

क्र.सं.	राज्य	सीजीआरएफ की रिक्तियों की स्थिति	ओमबडसमैन की रिक्तियों की स्थिति
1	असम	रिक्ति नहीं है	रिक्ति नहीं है
2	आंध्र प्रदेश	रिक्ति नहीं है	रिक्ति नहीं है
3	अरुणाचल प्रदेश	रिक्ति नहीं है	रिक्ति नहीं है
4	बिहार	एक रिक्ति है।	रिक्ति नहीं है
5	दिल्ली	तेरह रिक्तियां हैं।	रिक्ति नहीं है
6	गुजरात	पांच रिक्तियां है।	रिक्ति नहीं है
7	हरियाणा	रिक्ति नहीं है।	रिक्ति नहीं है
8	हिमाचल प्रदेश	रिक्ति नहीं है	रिक्ति नहीं है
9	झारखण्ड	तेरह रिक्तियां है।	एक रिक्ति है।
10	कर्नाटक	रिक्ति नहीं है	रिक्ति नहीं है
11	केरल	रिक्ति नहीं है	रिक्ति नहीं है
12	मध्य प्रदेश	एक रिक्ति है।	रिक्ति नहीं है
13	महाराष्ट्र	आठ रिक्तियां हैं।	एक रिक्ति है।
14	मेघालय	एक रिक्ति है।	शून्य
15	ओडिशा	रिक्ति नहीं है	रिक्ति नहीं है
16	पंजाब	एक रिक्ति है।	रिक्ति नहीं है
17	राजस्थान	सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है	सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है
18	तमिल नाडु	तीस रिक्तियां है।	रिक्ति नहीं है
19	उत्तराखण्ड	तीन रिक्तियां है।	रिक्ति नहीं है
20	उत्तर प्रदेश	उनतीस रिक्तियां है।	रिक्ति नहीं है
21	पश्चिम बंगाल	रिक्ति नहीं है	रिक्ति नहीं है
22	जेईआरसी मणिपुर एवं मिजोरम	रिक्ति नहीं है	रिक्ति नहीं है
23	जेईआरसीएस गोवा एवं सभी केन्द्रशासित प्रदेश	सीजीआरएफ में नौ रिक्तियां हैं	रिक्ति नहीं है
24	जेईआरसी जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख	एक रिक्ति है।	स्थापित किया जाएगा
25	छत्तीसगढ़	एक रिक्ति है।	रिक्ति नहीं है
26	त्रिपुरा	रिक्ति नहीं है	एक रिक्ति है।
27	सिक्किम	एक रिक्ति है।	रिक्ति नहीं है
28	नागालैंड	स्थापित किया जाएगा	स्थापित किया जाएगा
29	तेलंगाना	एक रिक्ति है।	रिक्ति नहीं है।

सीजीआरएफ की शिकायतों के निपटान की स्थिति – अप्रैल 2021 से मार्च 2022

क्र.सं.	एसईआरसी / जेईआरसी का नाम	सीजीआरएफ की संख्या	अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान बकाया शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक पुरानी लंबित शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
1	असम	8	5	15	17	3	3	34
2	आंध्र प्रदेश	3	47	204	223	28	9	58
			0	77	59	18	12	83
			17	99	100	16	2	63
			64	380	382	62	23	204
3	अरुणाचल प्रदेश	7	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	बिहार	5	483	200	222	429	251	292
5	दिल्ली	4	333	373	391	315	139	183
6	गुजरात	11	88	625	662	51	8	313
7	हरियाणा	2	37	268	235	70	0	0
			115	557	388	298	0	0
			152	825	623	368	0	0
8	हिमाचल प्रदेश	1	27	44	54	17	13	33
9	झारखण्ड	9	208	32	34	206	184	216
10	कर्नाटक	5	87	158	146	99	71	111
11	केरल	7	-	107	101	47	53	-
12	मध्य प्रदेश	3	877	759	708	938	543	238
13	महाराष्ट्र	24	2043	1136	830	2244	1384	859

14	मेघालय	1	शून्य	2	शून्य	2	शून्य	शून्य
15	ओडिशा	12	375	6248	5914	709	174	1024
16	पंजाब	2	50	311	297	64	45	48
			62	379	383	58	45	79
			112	690	680	122	90	127
17	राजस्थान	3	6046	21185	23508	3723	287	678
18	तमिल नाडु	44	472	3001	3123	350	97	319
19	उत्तर प्रदेश	20	5094	1349	1177	5263	4233	2225
20	उत्तराखण्ड	9	263	972	1056	180	461	पूर्णकालिक
21	पश्चिम बंगाल	20	72	907	916	63	8	6
22	(जेईआरसी) मणिपुर एवं मिजोरम	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
23	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग गोवा	7	36	377	358	55	12	216
24	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग लद्दाख	3	-	अब तक प्रतीक्षित है	अब तक प्रतीक्षित है	अब तक प्रतीक्षित है	अब तक प्रतीक्षित है	अब तक प्रतीक्षित है
25	सिक्किम	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
26	छत्तीसगढ	5	43	138	132	49	15	259
27	त्रिपुरा	3	शून्य	2	2	लागू नहीं	शून्य	शून्य
28	नागालैंड		शून्य	2	2	लागू नहीं	शून्य	शून्य
29	तेलंगाना	4	897	898	936	859	344	371

ओमबडसमैन की शिकायतों के निपटान की स्थिति – अप्रैल 2021 से मार्च 2022

क्र.सं.	एसईआरसी / जेईआरसी का नाम	ओमब डसमैन की संख्या	अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान बकाया शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक पुरानी लंबित शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान ओमबडसमैन की बैठकों की संख्या
1	असम	1	1	3	2	2	1	8
2	आंध्र प्रदेश	1	0	49	49	0	0	44
3	अरुणाचल प्रदेश	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	बिहार	1	13	12	15	10	7	113
5	दिल्ली	1	44	42	37	49	24	50
6	गुजरात	1	69	104	114	59	40	193
7	हरियाणा	1	6	33	38	1	0	0
8	हिमाचल प्रदेश	1	13	11	21	3	2	16
9	झारखण्ड	1	15	7	0	19	17	0
10	कर्नाटक	1	4	55	33	26	22	97
11	केरल	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12	मध्य प्रदेश	1	19	17	11	25	12	18
13	महाराष्ट्र	2	66	149	119	95	0	138
14	मेघालय	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15	ओड़ीशा	2	52	326	242	136	89	453
16	पंजाब	1	20	84	101	3	Nil	147
17	राजस्थान	1	6	30	21	15	0	0
18	तमिल नाडु	1	25	96	92	29	17	83
19	उत्तराखण्ड	1	4	49	35	18	0	पूर्णकालिक

20	उत्तर प्रदेश	1	451	192	233	410	296	78
21	पश्चिम बंगाल	2	759	183	231	709	594	193
22	(जेईआरसीएमएम) मणिपुर एवं मिज़ोरम	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
23	जेईआरसी गोवा एवं सभी केन्दशासित प्रदेश	1	2	22	22	2	शून्य	19
24	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग लद्दाख	-	-	1	1	-	-	-
25	छत्तीसगढ़	1	15	14	23	6	5	220
26	त्रिपुरा	नहीं	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
27	सिक्किम	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28	नागालैंड	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
29	तेलंगाना	1	116	51	6	161	125	58

विनियामक फोरम (एफओआर)

सचिवालय: मार्फत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ)
तृतीय और चतुर्थ तल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली-110001
दूरभाष :+91-11-23753920 फैक्स : 91-11-23752958

Aggarwal Printinng and Trading - 9810118199